उन्नति

विचार

´É¹É : 17 +Eò : 2 ˆÉ<-+MÉºiÉ, 2012

अनुक्रम

संपादकीय 1

विशेष संपादकीय 2

विकास विचार 3

- न्याय प्राप्त करने के लिए तथ्यों का अन्वेषण: पश्चिमी राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामलों के अनुभव

आपके लिए 14

- पुनर्स्थापन, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण पर नया कानून

अपनी बात 17

- प्राथमिक सेवाओं के लिए समुदाय-आधारित देखरेख

गतिविधियाँ 27

संदर्भ सामग्री 29

अपने बारे में 32

संपादकीय टीम :

दीपा सोनपाल, बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'UNNATI Organisation for Development Education', अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

लोकतंत्र का मापदंड - लोक आवाज की मजबूती

भारत के संविधान में लोगों को सर्वोपरि माना जाता है। लोगों की आवाज और मांग शासन तक पहुँचाने के लिए के कानूनी प्रावधान किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से गरीबी दूर करने के उद्देश्य से अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार जैसे कानूनों में लोगों को अपनी राय और शिकायतों को शामिल करने का अधिकार मिला हुआ है। इस दृष्टिकोण में शासन की प्रक्रिया में भागीदार बनने और अपनी जरूरतों और शिकायतों को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का विशेष अवसर के मिला हुआ है। इसके साथ लोगों की आवाज मजबूत करने के लिए और उसे व्यवस्थित रूप देने के लिए लोग और मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं और संगठन अस्तित्व में आए हैं। ऐसी मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं और संगठन लोगों को जागरूक बनाने, संगठित करने और उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मध्यस्थता करने वाली संस्थाएं जनसुनवाई, रिपोर्ट कार्ड, सामाजिक ऑडिट जैसे तरीकों का उपयोग करती हैं।

मध्यस्थता करने वाली संगठनों ने लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाने के लिए समर्पित और प्रभावी प्रयास किए हैं। हालांकि, इस तरह मध्यस्थता करने वाले संगठन और व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कार्यक्रम पूरा होते ही उनकी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। कई बार मध्यस्थता करने वाले संस्थानों का काम पूरा होने के बाद पहल निष्क्रिय हो जाती है और स्थिति पहले जैसी हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी जरूरतों और विचारों को शासन के सामने सीधा प्रस्तुत करें। इस तरह के लोक आवाज के सुदृढीकरण दृष्टिकोण के द्वारा पूरी प्रक्रिया अधिक लोककेन्द्रित, स्थायी और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके लिए मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं और संगठनों को ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिसके द्वारा ऐसा वातावरण बने जिसमें लोग बिना किसी लालच या दबाव के अपने मुद्दे सरकार के सामने रख सकें। इस प्रक्रिया से निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोक नेतृत्व महत्वपूर्ण बनेगा और धीरे-धीरे ऐसी पहल लोगों के हाथों तक पहुँच जाएगी।

इस प्रकार के लोक शिक्षण के लिए मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं के साथ शैक्षिक संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज द्वारा भी इन प्रयासों को करने की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से सरकार ने योजनाओं में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था को समानता आधारित, न्यायिक एनं पारदर्शी बनाने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र और उत्तरदायित्व की भावना जीवन का अंग बन सके।

दलितों के अधिकार और कानूनी रणनीति

1. ºÉn¦É: ¦ÉÉ®iÉ EòÉ ºÉÆ´ÉÉvÉ ´ÉvÉ¤ÉiÉ VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ ½* <ºÉ´É ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ, ´É¶ªÉ +É® ¶Ép VÉÉÊiÉªÉÉ EòÉ Gò´É ½* <xÉ SÉÉ® VÉÉÊiÉªÉÉ EòÉ ºÉ´ÉhÉ ¦ÉÒ Eò½É VÉÉiÉÉ ½, CªÉÉÊEò ´É ´ÉhÉÉ¸É´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ¦ÉÉMÉ ½, VÉ¤ÉÊEò nÊ±ÉiÉ "VÉÉÊiÉ ¤ÉÉ½®" ½, CªÉÉÊEò ´É VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ ¤ÉÉ½® ½* nÊ±ÉiÉÉ EòÉ +º{ÉÞ¶ªÉ ´ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½ +É® ¶ÉÉ¹É SÉÉ® ºÉ´ÉhÉÉ EòÉ º{ÉÞ¶ªÉ ´ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½* =xÉEòÉ VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ ¤ÉÉ½® ºÉ´ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½ <ºÉÒÊ±ÉB =xÉEòÉ ¦ÉÉÊiÉEò ´É ºÉ´ÉÉÊVÉEò ºüÉ{É ºÉ ¤ÉÉ½¹EòÉ® ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½ +É® =x½ ¤ÉÉEòÒ ºÉ´ÉÉVÉ ºÉ +±ÉMÉ Eò® ÊnªÉÉ MÉªÉÉ ½, =x½ ºÉÉnªÉÉ iÉEò VÉ´ÉÒxÉ EòÉ ´ÉÉ±ÉÊEò xÉ½Ò ¤ÉxÉxÉ ÊnªÉÉ MÉªÉÉ +É® Ê¶ÉIÉÉ ºÉ ´ÉÆSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ IÉÉ* ªÉ½ ¦ÉÒ |ÉÊiÉ¤ÉvÉ IÉÉ ÊEò nÊ±ÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉ Eò {É´ÉjÉ MÉÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ xÉ½Ò ºÉxÉ ºÉEòiÉ IÉ* ºÉ´ÉhÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò Ê±ÉB +{É´ÉÉxÉVÉxÉEò ¶É¤nÉ EòÉ |ÉªÉÉMÉ ¦ÉÒ Eò®iÉ ½* VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ nÊ±ÉiÉÉ {É® xÉEòÉ®ÉiÉ´ÉEò |É¦ÉÉ´É {ÉcÉ ½, ´É =xÉEò Ê¶ÉIÉEòÉ® ¤ÉxÉ ½* 1950 ´É ¦ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉjÉ ¤ÉxÉÉ iÉ¤É iÉEò ´ÉÉºiÉ´É ´É =x½ EòÉ< ¦ÉÒ +ÉvÉEòÉ® xÉ½Ò IÉÉ* ¦ÉÉ®iÉ Eò ºÉÆ´ÉvÉÉxÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉxÉÉxÉÉ +É® ªÉÉVÉxÉÉ+É xÉ nÊ±ÉiÉÉ EòÉ EòÙU +ÉvÉEòÉ® ÊnB ½* ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® xÉ 1950 ºÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò ´ÉÉxÉ´É +ÉvÉEòÉ®É EòÒ ®IÉÉ Eò Ê±ÉB ÊxÉ´ÉxÉ |ÉEòÉ® EòÉ fÉSÉÉ +{ÉxÉÉªÉÉ ½ (ºÉ®EòÉ® xÉ +UiÉ VÉÉÊiÉªÉÉ EòÒ ºÉSÉÒ ¤ÉxÉÉ< ½ +É® =x½ +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ Eò½É ½): (1) ºÉ´ÉÉxÉ +´ÉºÉ®& ¦ÉÉ®iÉ ´É ºÉ®EòÉ®Ò xÉÉEòÊ®ªÉÉ ´É, ¶ÉÉIÉEò ºÉºlÉÉxÉ ´É |É´É¶É Eò Ê±ÉB, ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò ´ªÉ´ºlÉÉ +É® {ÉSÉÉªÉiÉÒ ®ÉVÉ ´É nÊ±ÉiÉÉ Eò Ê±ÉB +É®IÉhÉ EòÒ ´ªÉ´ºlÉÉ EòÒ ÊºÉ¡òÉÉ®¶É EòÒ MÉ< ½* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ´É EòÉ +ÉvÉEòÉ® Ên±ÉÉxÉ Eò Ê±ÉB ¦ÉÉ´É ºÉvÉÉ® ¦ÉÒ ÊEòB MÉB ½* (2) ºÉ´ÉÉÊVÉEò - +ÉÌIÉEò +ÉvÉEòÉ®& ºÉ®EòÉ® xÉ Ê¶ÉIÉÉ ´É UÉjÉ´ÉÉkÉ, VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉÉ½ Eò Ê±ÉB @ñhÉ +É® ºÉÎ¤ºÉbÒ, +É´ÉÉºÉ, UÉjÉ´ÉÉºÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉÊn VÉºÉÒ ´ªÉ´ºlÉÉ ¦ÉÒ +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÊiÉªÉÉ Eò Ê±ÉB ºÉ®EòÉ® uÉ®É EòÒ MÉ< ½* (3) EòÉxÉxÉÒ ºÉ®IÉÉ +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ +É® +iªÉÉSÉÉ®É Eò |É¶xÉÉ EòÉ ºÉ´ÉxÉÉ Eò®xÉ Eò Ê±ÉB ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® uÉ®É +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉ Eò Ê±ÉB EòÉxÉxÉÒ ºÉ®IÉhÉ |ÉnÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½* <ºÉEò Ê±ÉB xÉÉMÉÊ®Eò +ÉvÉEòÉ® ºÉ®IÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ´É -1955 +É® +iªÉÉSÉÉ® |ÉÊiÉ®vÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ´É -1989 ±ÉÉMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½*

2. EòÉªÉÉx´ÉxÉ ´É ´ÉºÉÒ¤ÉiÉ +É® ¦Én¦ÉÉ´É: ºÉ®EòÉ® ´É EòÉxÉxÉ +É® ÊxÉªÉ´ÉÉ EòÉ ±ÉÉMÉ xÉ½Ò Eò®xÉ EòÒ ºÉºÉÊiÉ ¦ÉÉ®iÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉiÉ ½< ½* Ê®-ÉiÉ nxÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É bÉ±ÉxÉ {É® ½Ò <ºÉ ±ÉÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½* ¦ÉÉ®iÉ ´É VÉcÉ iÉEò vÉºÉÒ VÉÉÊiÉ ´ªÉ´ºlÉÉ ºÉ®EòÉ® Eò ÊxÉ¹{ÉÉnxÉ {É® ´ÉVÉ¤ÉiÉ +ºÉ® ®JÉiÉÒ ½* VÉÉÊiÉ-+ÉvÉÉÊ®iÉ ¦Én¦ÉÉ´É xÉ Eò´É±É ºÉ´ÉÉVÉ ´É ´ÉÉVÉn ½, ¤ÉÎ±Eò ªÉ½ ºÉ®EòÉ®Ò Ê´É¦ÉÉMÉÉ, ºÉÉ´ÉVÉÊxÉEò IÉjÉ EòÒ <EòÉ<ªÉÉ ´É ¦ÉÒ ´ÉÉVÉn ½* +É®IÉhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ +É® ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eò EòÉxÉxÉÒ ºÉ®IÉhÉ Eò ¤ÉÉ´ÉVÉn +ÉVÉ ¦ÉÒ nÊ±ÉiÉ VÉÉÊiÉ - +ÉvÉÉÊ®iÉ ¦Én¦ÉÉ´É EòÉ Ê¶ÉEòÉ® ¤ÉxÉiÉ ½* ºÉ®EòÉ®Ò xÉÉEòÊ®ªÉÉ½ +É® ®ÉVÉxÉÒÊiÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò Ê±ÉB Ê´É¦ÉÉzÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ Eò EòÉªÉÉx´ÉªÉxÉ EòÉ iÉÉc-¨É®Éc Eò® ½±Eò Eò®Eò iÉ®ÒEò ff ±ÉiÉ ½* nºÉ®Ò +É®, ÊxÉVÉÒ IÉjÉ ¦ÉÒ ºÉ´ÉÉVÉ EòÉ BEò |ÉÊiÉÊ¤ÉÉ¤É ½, +É® ´É½É nÊ±ÉiÉÉ Eò ´ÉÉ´É±É ´É xÉÉEòÊ®ªÉÉ ´É ¦Én¦ÉÉ´É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½* EòÉ´É Eò ¤ÉÉ® ´É +É® {ÉnÉzÉÊiÉ Eò É´É¹ªÉ ´É ¦ÉÒ ´É½É ¦Én¦ÉÉ´É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½* ºÉ®EòÉ®Ò +É® ÊxÉVÉÒ nÉxÉÉ IÉjÉ ´É ¦Én¦ÉÉ´É EòÉ VÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ½ ´É½ nÊ±ÉiÉÉ EòÉ ºÉÉ´ÉÉÊVÉEò - +ÉÌIÉEò +ÉvÉEòÉ®É EòÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ ºÉ ®ÉEòiÉÉ ½*

3. MÉ®-ºÉ®EòÉ®Ò ºÉMÉ`xÉÉ +É® ºÉ´ÉnÉªÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ ºÉMÉ`xÉÉ uÉ®É <ºÉiÉ´ÉÉ±É ®hÉxÉÒÊiÉªÉÉ: +ÉvÉEòÉ® +ÉvÉÉÊ®iÉ oÎ¹]EòÉhÉ ´ÉÉ±É ºÉMÉ`xÉ +ÉvÉEòÉ®É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®xÉ Eò Ê±ÉB ®ÉVªÉ EòÉ nÉ¹ÉÒ `½®ÉxÉ EòÒ EòÉxÉxÉÒ ®hÉxÉÒÊiÉ EòÉ ={ÉªÉÉMÉ Eò®iÉ ½* BºÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½ ÊEò +MÉ® <xÉ ºÉMÉ`xÉÉ EòÉ n¤ÉÉ´É xÉ½Ò ½É iÉÉ nÊ±ÉiÉ +{ÉxÉ +vÉÊEòÉ®É EòÉ ={É¦ÉÉMÉ xÉ½Ò Eò® ºÉEòiÉ +É® =x½ xªÉÉªÉ xÉ½Ò Ê´É±É ºÉEòiÉÉ* <ºÉEòÉ BEò =nÉ½®hÉ ½ ÊEò +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ +É® +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ +iªÉÉSÉÉ® Ê´É®vÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ´É-1989 EòÉ ¤ÉÉ½iÉ Eò´ÉVÉÉ® +´É±É ½ÉiÉÉ ½* ®É¹]ÅÒªÉ nÊ±ÉiÉ ´ÉÉxÉ´É +ÉvÉEòÉ® +ÊªÉÉxÉ uÉ®É VÉÉ Ê®{ÉÉ]Ç EòÉb iÉªÉÉ® ½+É ½ =ºÉ´É ªÉ½ ½EòÒEòiÉ ºÉÉ´ÉxÉ +É< ½ ÊEò {ÉÉ±ÉºÉ ÊEòºÉ iÉ®½ ´ÉÉ´É±É nVÉ Eò®iÉÒ ½ +É® ´ÉÉ´É±É EòÒ VÉÉSÉ Eò®iÉÒ ½, ÊEòºÉ iÉ®½ Ê´É¶É¹É +nÉ±ÉiÉ EòÉ´É Eò®iÉÒ ½* xÉiÉÒVÉiÉxÉ, <ºÉ EòÉxÉxÉ Eò iÉ½iÉ ¤É½iÉ Eò´É ´ÉÉ´É±É ´É ºÉVÉÉ ½É {ÉÉiÉÒ ½* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, +xÉºÉÉÊSÉiÉ VÉÉÊiÉªÉÉ Eò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +{É®ÉvÉ ´É ºÉ 30.7 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ +{É®ÉvÉ ½Ò <ºÉ EòÉxÉxÉ Eò iÉ½iÉ nVÉ ÊEòB VÉÉiÉ ½* +xÉ¦É´É Eò +ÉvÉÉ® {É® ´É Eò½ ºÉEòiÉÉ ½ ÊEò +MÉ® ½´É xªÉÉªÉ SÉÉ½iÉ ½, iÉÉ ½´É ªÉ½ ºÉÉxÉÎ¶SÉiÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B ÊEò (1) `ÒEò ºÉ B¡ò.+É<.+É®. nVÉ ½É +É® VÉÉSÉ ½É* (2) ºÉIÉ´É +É® |ÉÊiÉ¤Ér Ê´É¶É¹É ºÉ®EòÉ®Ò ´ÉEòÒ±É EòÒ ÊxÉªÉÉÊHò ½É* (3) MÉ´ÉÉ½É EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnªÉÉ VÉÉB* (4) {ÉÒÊciÉ +IÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉ½É Eò ºÉ¨ÉIÉxÉ Ê´É±É +É® Ê´É¶É¹É +Ê¦ÉªÉÉVÉEò EòÉ ºÉ½ªÉÉiÉÉ |ÉnÉxÉ EòÒ VÉÉB* ±ÉÉEòxÉ Eò< ´ÉÉ´É±ÉÉ ´É, +CºÉ® ºÉ¦ÉÒ iÉÉEòiÉ ÊJÉ±ÉÉ¡ò ½ÉiÉÒ ½ +É® iÉ¤É ½´É {ÉxÉ& VÉÉSÉ Eò®xÉ Eò Ê±ÉB VÉxÉÉ½iÉ ªÉÉÊSÉEòÉ nªÉ® Eò®xÉÒ SÉÉÊ½B* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, ªÉ½ ´ÉÉMÉ ¦ÉÒ Eò®xÉÒ SÉÉÊ½B ÊEò ´ÉÉ´É±É ´É EòÉ®´ÉÉ< ÊVÉ±É ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ ¤ÉÉ½® ½É +É® Ê´É¶É¹É ºÉ®EòÉ®Ò ´ÉEòÒ±É EòÒ ÊxÉªÉÉÊHò ½xÉÒ SÉÉÊ½B * VÉxÉÊ½iÉ ªÉÉÊSÉEòÉ Eò ºü{É ´É <ºÉ iÉ®½ Eò ºÉÉ´ÉÉÊVÉEò - +ÉÌIÉEò +ÉvÉEòÉ®, BEò ¤ÉÉ½iÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ EòÉxÉxÉÒ ®hÉxÉÒÊiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½*

(ªÉ½ Ê´É¶É¹É ºÉ{ÉÉnEòÒªÉ ±ÉJÉ VÉxÉÉ´ÉEòÉºÉ Eò ºÉÒ<+É ¸ÉÒ Ê´ÉVÉªÉ {É®´ÉÉ® uÉ®É Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½ ÊVÉx½ÉxÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò +ÉvÉEòÉ®É Eò IÉjÉ ´É ºÉ®É½xÉÒªÉ EòÉ´É ÊEòªÉÉ ½)*

न्याय प्राप्त करने के लिए तथ्यों का अन्वेषण: पश्चिमी राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामलों के अनुभव

पिछले दस साल से 'उन्नति' राजस्थान के तीन जिलों में दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें दलितों पर अत्याचार के मामले में न्याय के लिए काम करना भी शामिल है। ऐसे मामलों में, तथ्य की अन्वेषण बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके लिए 'उन्नति' द्वारा जो रणनीति अपनायी गई है उसका आलेखन यहां 'उन्नति' की मुख्य कार्याधिकारी **सुश्री स्वप्नी शाह** और कार्यक्रम सहयोगी **श्री तोलाराम चौहान** द्वारा किया गया है। इस लेख में अत्याचार के मामलों में तथ्यों के अन्वेषण का महत्व, उद्देश्यों और इसके लिए अनुभवों पर आधारित कदमों के बारे में बताया गया है।

इस लेख में दलितों पर अत्याचारों के मामले में 'उन्नति' के द्वारा की गई मध्यस्थता और उसके अनुभवों में से प्राप्त सीख का वर्णन किया गया है। छोटे-छोटे केसों के उदाहरण के साथ तथ्यों की अन्वेषण प्रक्रिया के चरणों का वर्णन किया गया है। मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए यह उपयोगी हो सकता है।

प्रस्तावना

जाति-आधारित भेदभाव के कारण दलित कई प्रकार की वंचितता का अनुभव कर रहे हैं। इस वंचितता का रूप अलग-अलग होता है और ये रूप एक दूसरे को मजबूत करते हैं। मानव अधिकारों के हनन से उनकी असहायता बढ़ जाती है। न्यायिक समाधान उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कल्याण की रक्षा करने में मदद करते हैं। स्थानीय संगठनों और दलित समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर 'उन्नति' पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के 248 गांवों में पिछले 12 सालों से काम कर रही है। वहां दलित अधिकार आंदोलन चलता है और वहां गांव और तालुका स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। दलित अधिकार अभियान इन सभी समितियों को शामिल करके और विभिन्न हितधारकों की क्षमता संकलन करने की कोशिश करता है ।

यह अभियान जिला स्तर के दलित संसाधन केंद्र के समर्थन से बनाया गया है। ये केन्द्र दलितों के बीच जागरूकता, दलितों का संगठित करने, नेतृत्व प्रशिक्षण, न्याय के लिए समर्थन और अधिकारों के अधिभोग के लिए समर्थन प्रदान करते हैं।

सितम्बर-2009 से दलित संसाधन केन्द्रों को प्रदान सहायता वापस ले ली गयी थी और तब यह उम्मीद थी कि स्थानीय संगठन और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि, यह दबाव था कि कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य और अधिक व्यवस्थित तरीके से हो। दलितों पर अत्याचारों के 106 मामलों तथ्यों की अन्वेषण, केस को सौंपना, पुलिस जांच के प्रत्येक चरण में वकालत, आरोपपत्र प्रस्तुत करना, अदालत की कार्यवाही, सलाह और पुनर्वास आदि उन्हें समर्थन दिया गया था।

50 मामलों में तथ्यों का अन्वेषण किया गया और उसके परिणाम के बाद मध्यस्थता की सहायता मिली। अन्याय और अत्याचार के मामले में समर्थन देने से न केवल पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के अवसर बढ़ जाते हैं बल्कि अत्याचार तक असहाय रहे समुदाय की कानून के प्रति जागरूकता बढ़ी। 90 प्रतिशत मामलों में एफ.आइ.आर. दर्ज कराने के लिए समर्थन दिया गया। 10 प्रतिशत मामलों में, पुलिस ने एफ.आइ.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया, फिर अदालत की कार्यवाही के बाद मामला दर्ज किया गया। 24 मामलों में प्रयास किया गया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में जाएं ताकि जमानत पर छूटे आरोपी दबाव नहीं डालें और धमकी नहीं दे पाएं। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि पीड़ित दलित मामले में समाधान कर लते हैं।

पांच मामलों में विरोध अर्जी दी गई क्योंकि पुलिस द्वारा जांच करने

तथ्यों का अन्वेषण वास्तव में क्या है?

तथ्यों का अन्वेषण फोरेंसिक जांच या रासायनिक जांच का विकल्प नहीं है। इसके अलावा, यह इन दोनों का महत्व भी कम नहीं करती। तथ्यों के अन्वेषण में पुलिस जांच, फोरेंसिक जांच, रासायनिक जांच, चिकित्सा और तकनीकी मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल वकालत को दिशा देता है जिससे जनता के दबाव में औपचारिक विधिवत जांच हो और उसमें आने वाली बाधाएं दूर हों। इसीलिए तो यह विभिन्न लोगों के साथ साक्षात्कार पर और स्पष्ट रूप से दिखती या तथ्यों पर आधारित हैं।

तथ्यों के अन्वेषण के लिए कुछ प्रस्थापित नियम हैं और वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये किसी तरह से भी यह मानव अधिकार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आम समझ, और उचित व्यक्तिगत निर्णय का विकल्प नहीं है।

के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। 11 मामलों में या 21 प्रतिशत मामलों में पीड़ित दलितों के पक्ष में निर्णय आया। यह मात्रा अत्याचार विरोधी अधिनियम के तहत जिन केसों में सजा सुनाई जाती है उसकी राष्ट्रीय दर से अधिक है। ये निर्णय घटना से एक वर्ष की अवधि में आए थे। 42 मामलों में पीड़ितों को 21,66,750 रुपए का मुआवजे दिलाने में मदद की गई। सभी मामलों में यह पाया गया कि यह मुआवजे अत्याचार के खिलाफ लड़ने में पीड़ितों को बल प्रदान करता है।

तथ्यों के अन्वेषण में वास्तविकता को सामने लाना, उनकी जांच करना और उनका दस्तावेजीकरण करना शामिल है। आपराधिक मामलों में यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मानव अधिकारों के मुद्दों के लिए काम करने वाले कई संगठन राज्यों में मानव अधिकारों के पालन करने की स्थिति पर नजर रखने के लिए तथ्यों की अन्वेषण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। आज के सामाजिक संदर्भ में, दलितों के लिए न्याय प्राप्त करने में कई ढांचागत बाधाएं हैं तब तथ्यों की अन्वेषण एक ऐसा साधन है जो अत्याचारों के मामलों में और मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के लिए वकालत हेतु बहुत उपयोगी है।

तथ्यों के अन्वेषण में दो प्रमुख और आपस में जुड़े पहलू शामिल हैं: (1) सत्य की स्थापना के लिए जानकारी इकट्ठा करना। (2) जानकारी को इस तरह प्रलेखित किया जाना चाहिए कि यह आसानी से उपलब्ध हो और उसका प्रयोग किया जा सके। यह प्रक्रिया घटनाक्रम तय करने, अत्याचार किसने किया, पीड़ित कौन है, इस घटना का उद्देश्य क्या था निर्धारित करने के लिए उपयोगी होती है।

1. तथ्यों के अन्वेषण का उद्देश्य

मानव अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाला कोई भी संगठन तथ्यों की अन्वेषण करे, और पीड़ितों की मदद करने से पहले विश्लेषण करे तो उसे समर्थन देने की रणनीति मजबूत बनती है, और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मदद मिलती है। तथ्य के अन्वेषण का कोई कानूनी आधार नहीं है।

दलितों और महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में विशेष शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि इन मामलों में आम तौर पर पीड़ित असहाय होते हैं और अपराधी शक्तिशाली होते हैं। सबूत और तथ्यों को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है और तथ्यों की तलाश में मदद करता है। गिरफ्तारी, अवैध नियंत्रण, अपहरण, अत्याचार, त्रास, आदि के मामलों में तत्काल अन्वेषण करना और कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना आवश्यक होता है। तथ्य की अन्वेषण के लिए यह प्रक्रिया तेज हो जाती है और तुरंत और त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए यह तथ्यों का आधार प्रदान करता है।

कई मामलों में, पीड़ितों को कानूनी सहायता के अलावा चिकित्सा, आर्थिक या अन्य प्रकार की जरूरत का आवश्यकता होती है। तथ्यों के अन्वेषण की प्रक्रिया इन जरूरतों को बेहतर पहचानने में मदद करती है और इसके परिणाम स्वरूप में अन्य सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय किया जा सकता है। संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण और जानकारी का योजनाबद्ध एकीकरण के मुद्दों और प्रासंगिक तथ्यों को समझना और पूरी प्रक्रिया और मध्यस्थता के लिए उपयोगी होता है। इनमें से जो कुछ सीखने को मिले उससे समर्थन देने के लिए अधिक रणनीतियों को

बनाने में उपयोगी होता है और कई लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तथ्यों के अन्वेषण प्रक्रिया से जो जानने को मिले उससे लोगों को संगठित किया जा सकता है, अभियान के लिए तैयार किया जा सकता है, विभिन्न हितधारकों की समान समझ बनायी जा सकती है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वकालत की जा सकती है। उपेक्षित समूहों और वंचित समूहों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में इन बातों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है।

तथ्यों के अन्वेषण की प्रक्रिया का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह बात उसका प्रकार और अनुपात निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए अत्याचार के किसी मामले को अदालत में दाखिल करवाना हो तो पीड़ितों और गवाहों के साथ बातचीत पर्याप्त हो सकती है। लेकिन अगर मानव अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन की स्थिति के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए तथ्यों का अन्वेषण करना हो तोध्र प्रासंगिक दस्तावेजों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पीड़ितों के लिए व्यवस्थित अन्वेषण और उन लोगों के साथ संवाद, अनुपालन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद, डेटा संग्रह और विश्लेषण भी आवश्यक होता है। तथ्यों का अन्वेषण विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिसका नीचे उल्लेख किया गया है:

1. तथ्यों का अन्वेषण करने वाले विद्वानों और संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सीमित समय में निश्चित कुछ क्षेत्र में जांच।
2. किसी एक क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा लंबी अवधि में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी का संग्रह और प्रलेखन।
3. स्थानीय निवासियों की टीम द्वारा जांच।
4. देश के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा जांच करना।
5. विभिन्न देशों के नागरिकों की टीम द्वारा जांच।
6. अदालत की कार्यवाही देखना।
7. जेल की जाँच करना।
8. चुनाव की निगरानी।

सत्य की खोज

अत्याचार के मामलों में पीड़ित दलितों के लिए न्याय के लिए जब हमने प्रारंभिक वर्षों में समर्थन करने की शुरूआत की, तब हम ऐसा मानते थे कि गरीब दलित व्यक्ति हमेशा सच ही कहता है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हम अधिक समर्थन देने के लिए तैयारी करते थे। इसके परिणाम स्वरूप बाद में हम समझे कि समर्थन देने में की रणनीतियों में कई बाधाएं हैं और बाद में मामला कमजोर पड़ जाता है। निम्नलिखित दो उदाहरण इसे बेहतर समझाते हैं:

जोधपुर जिले फलौदी तालुका के बैगती गांव से समाचार आया कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है और उसके पति का अपहरण कर लिया गया है। तथ्य अन्वेषण से पता लगा कि जिस आदमी ने केस किया था उसके पिता को पीटा गया था और वह अस्पताल में था। दोनों पक्षकारों के बीच एक विवाद था और हमें गलत जानकारी दी गयी थी। पुलिस ने तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट को माना और प्रतिवादी को शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

सोनूदेवी के अपहरण के मामले में, झूठे आरोप लगाए गए थे, अत्याचार की मात्रा में काफी कमी हो गई है। कई ग्रामीणों का मानना था कि सोनूदेवी शायद अपहरणकर्ता को अच्छी तरह से जानती थी, और वही उसके साथ भाग गई थी।

हालांकि, तथ्य अन्वेषण टीम को पता चला कि सोनूदेवी का घर राजमार्ग के नजदीक है और बकरियां सड़क के दूसरी तरफ थी। उसे दूध चाहिए था और जब रस्ता पार करने लगी तो वहां से एक कार गुजर रही थी। यह कार उसके पास रुकी और कार में उसका अपहरण कर लिया गया था। उसने गुत्थमगुत्थी की और कार से बाहर कूदने का प्रयास भी किया। उस समय उसके पेट पर चोट लगी और 9 माह का गर्भपात हो गया। अंत में पुलिस और ग्रामीणों को भी सच्ची बात का पता चल गया।

9. न्याय के गैर-सरकारी तंत्र या जांच आयोग का गठन।
10. फोरेंसिक जांच।
11. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित मापदंड के आधार पर, जानकारी का संग्रह।
12. अनुसंधान अध्ययन या सर्वेक्षण।

2. तथ्य अन्वेषण के महत्वपूर्ण पहलू

तथ्यों के अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया के दौरान इन मानकों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण हैः

1. तथ्यों के अन्वेषण के निम्नलिखित पहलुओं को समझना

(अ) स्पष्ट, मुद्दे के अनुसार, पक्षपात रहितः निष्कर्षों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन पर पूरा ध्यान रखना आवश्यक है।

(आ) स्पष्ट ध्यान और निर्देश जांच तय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि आवश्यक जानकारी मिले और समय की बचत हो। हालांकि, इस प्रक्रिया में बदलाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तथ्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियां बनाने के लिए अवसर मिलता है।

(ई) गवाहों की पक्षपात रहित जांचः मानव अधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के विरुद्ध गवाहों की पक्षपात रहित जांच के लिए खुला दृष्टिकोण होना एक पूर्व शर्त है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि खुलापन लिखित में दिखाई दे जिससे पाठक पर उसकी विफलता और विश्वसनीयता का इसके प्रभाव पड़े।

स्थल पर जांच से आत्महत्या बनी हत्या

पश्चिम राजस्थान के जोधपुर जिला के बिरामी गांव के रेवतराम मेघवाल के तीन बेटे थे। वह एक मजदूर था और अपने परिवार के लिए मुख्य व्यक्ति थे। उनका बीच का बेटा पखुराम 24 साल का था। वह अपने पिता के साथ मजदूरी करने गया था। हमें 4-4-2011 को जानकारी मिली कि उसने पिछली रात बड़ के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने भी इसे मान लिया था। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आइ.आर.) में दुर्घटना में मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मृत्यु कारण गला घुटना बताया गया था। घटना की पुलिस जांच में भी इसे आत्महत्या बताया गया था।

स्थल पर जांच करने वाली तथ्य अन्वेषण टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची। खींची गई तस्वीरों से पता चला कि पेड़ की डाली काफी नीची थी, मृतक व्यक्ति के पैर मुड़ गए थे, गले में जो कपड़ा बंधा हुआ था उसमें ठीक से गाँठ नहीं लगी हुई थी। उसमें यह भी पाया कि पखुराम के कूल्हे पर चोट के निशान थे और ऐसे थे कि पिटाई से ही हो सकते थे, उसकी पैंट पर खून के दाग थे। इसके अलावा, लाश ऐसी जगह से मिली थी कि वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन वहां मोटरसाइकिल के टायरों के निशान थे।

पखुराम के परिवार और ग्रामीणों के साथ बातचीत में तथ्य अन्वेषण टीम के ध्यान में दो महत्वपूर्ण मुद्दे आए। दो साल पहले, सरगारा दलित समुदाय के युवक ने पानी की टंकी में गिरकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में कुछ पता नहीं चला। पखुराम के पास इस मामले के बारे में कुछ जानकारी थी और उससे यह साबित हो सकता था कि उस युवक ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी और अगले दिन पखुराम कुछ परिचितों के साथ दिखाई दिया था। तथ्य अन्वेषण टीम ने भी उसके खून में शामिल है छह व्यक्तियों के संभावित नामों को ढूंढ निकाला था।

इस बीच गांव के शक्तिशाली लोग इसके लिए उत्सुक थे कि पुलिस जांच दूसरी तरफ चली जाए। तथ्य अन्वेषण के बाद जो सूचना मिली उसके बाद दलित समुदाय को एकत्र किया गया और जांच अधिकारी को बदलने के लिए दबाव डाला गया था। 6.8.2011 को पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, इससे पहले तीन बार पुलिस अधिकारियों को बदलना पड़ा था। इन तीन लोगों ने बाद में गांव की बैठक में अपने जुर्म को कबूल कर लिया था।

तथ्य अन्वेषण के चरण

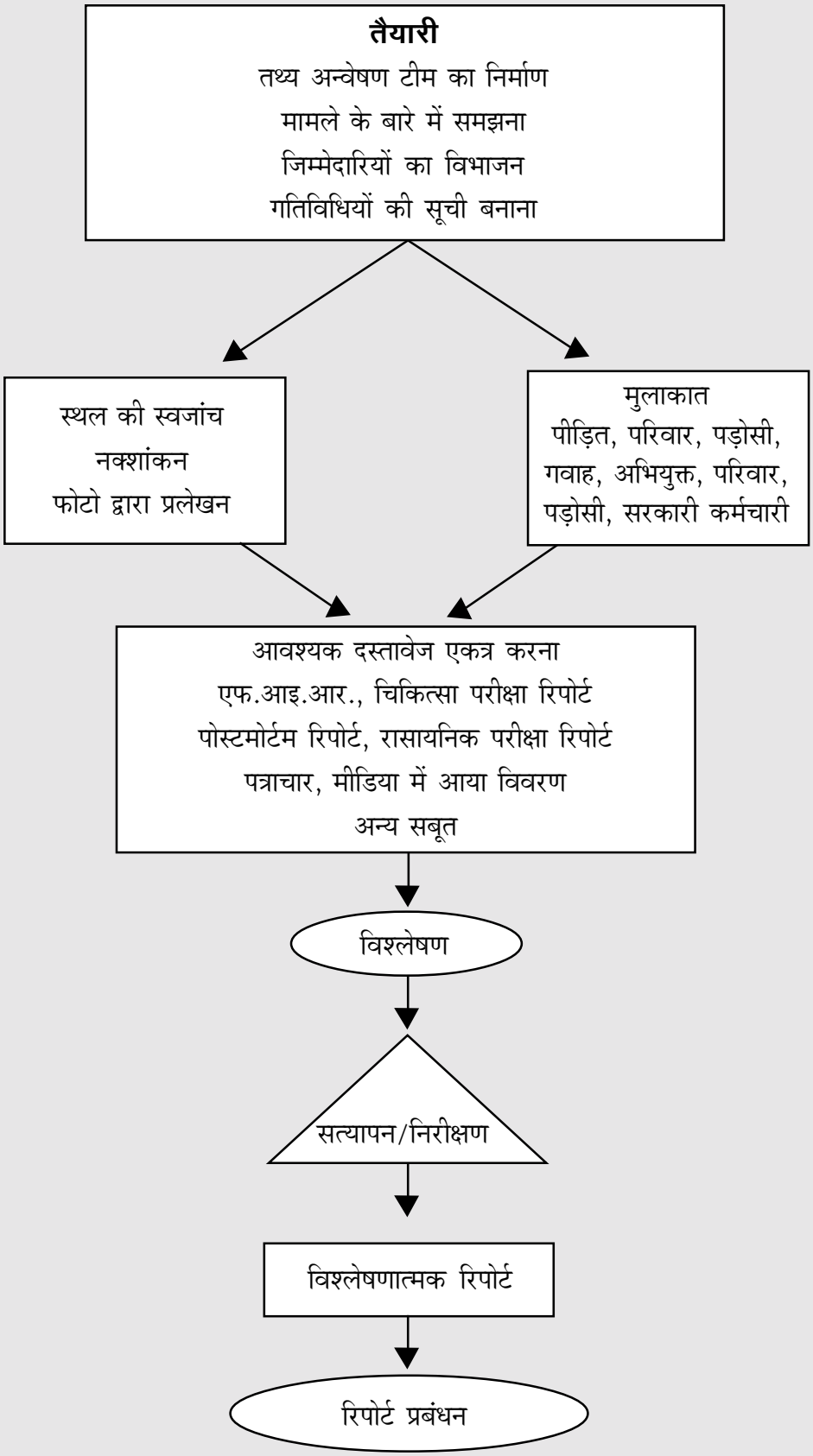

(ए) पीड़ितों की सुरक्षा और कल्याणः मानव अधिकारों की रक्षा करने वालों का पहला कर्तव्य पीड़ितों के प्रति है। इसलिए इस प्रक्रिया नैतिकपूर्ण संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार से संबंधित काम में सूचना का प्रचार-प्रसार महत्वपूर्ण है। लेकिन स्रोतों की सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। सूचना के प्रचार-प्रसार के संभावित प्रभाव है और वह लोगों को कैसे प्रभावित करता है इस पर उन लोगों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। यह भी उतना ही

आरोपियों के साथ मुलाकात से मामलों में दिशा परिवर्तन

गणपतराम एक किसान था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी सिकंदर मुस्लिम से पूछे बिना खेती का एक उपकरण ले लिया और फिर उसे वापस नहीं किया। इसके लिए जब सिकंदर जब गणपतराम के घर गया तो वहां मार-पिटाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे को तमाचे भी मारे। सिकंदर अपने कुछ दोस्तों को लेकर गया और उसने गणपतराम और उसकी पत्नी को पीटा। गणपतराम के 50 वर्षीय पिता चैनाराम और उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने बीच-बचाव भी किया। आरोपियों ने उन्हें भी पीटा।

14-10-2011 को जमनादेवी ने जोधपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत (संख्या 211-11) दायर की और आरोप लगाया कि सिकंदर ने उसका बलात्कार किया और उसके पति का अपहरण कर लिया। भा.द.स. की धारा-376, 365 और 323 के तहत और अत्याचार विरोधी कानून की धारा 3(1)(12) के तहत यह मामला दर्ज किया गया। अगले दिन, जमनादेवी के देवर ने भी मामला दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी ने बलात्कार से इनकार किया था और कहा कि यह साबित हो तो वह कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मार-पिटाई हुई थी और उसके पक्ष की संख्या ज्यादा थी इसलिए सामने वालों को लगी थी। उन्होंने कहा कि गणपतराम खुद ही भाग गया है और कहां छुपा है उसकी उसे खबर है।

2011 में सूचना अधिकार अधिनियम के क्षेत्र में कार्यकर्ता मंगलराम समाचारों में चमकते थे। उसमें यह आरोप लगाया गया था है कि गांव की पंचायत द्वारा पैसे का दुरुपयोग करने की जानकारी के बारे में पूछने पर सरपंच द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। पिटाई के लिए लकड़ी और कुदाली का इस्तेमाल किया गया था। आरोपी ने बारबार कहा कि सूचना की मांग करने पर उसे नहीं मारा पर वह चुनाव की पुरानी दुश्मनी थी। मंगलराम की गांव के कुछ लोगों के साथ मारामारी हुई थी। उसमें सरपंच शामिल नहीं थे। यह बताया गया था कि यह घटना करीब 200 लोगों की उपस्थिति में हुई थी। तथ्य अन्वेषण एजेंसी टीम इस निष्कर्ष पर आई कि पीड़ित हमला करने वालों के नाम नहीं देना चाहता और वह घटना का उपयोग सरपंच के खिलाफ करना चाहता था।

दूसरा एक मामला जस्सू देवी का है। उसकी मौत उसके ससुराल में हुई थी। ससुराल वालों ने कहा कि उसने आत्महत्या की है लेकिन उसके पीहर वालों का कहना था कि दहेज के लिए यह हत्या की गई थी।

जस्सू देवी के पति और उसकी सासू से बात करने से पता चला कि उसके पति के उसके बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। जब उसकी ननद ने एक दिन जस्सू देवी को बुलाया तब वह फोन पर बात करने के लिए बाहर जा रहा था। जस्सू देवी इन बातों को सुनकर कर खूब चिल्लाई और अपने पति को धमकाया।

उसने जस्सू देवी को धक्का मारकर घर में धकेल दिया ताकि दूसरे लोग नहीं सुन सकें और उसे मारा-पीटा। उसकी माँ यानि जस्सू देवी की सासू और उसके पति के चाचा शंकरलाल भी शामिल हो गए। उसे चिल्लाने से रोकने के लिए जस्सू देवी के मुंह को हाथ से दबा दिया और गला दबने से मौत हो गई। वे जानते थे कि जस्सू देवी तो मर गई है इसलिए उन्होंने छत और रस्सी से बांधकर लटका दिया ताकि हत्या आत्महत्या की तरह लगे।

महत्वपूर्ण है तथ्यों की अन्वेषण करने वाली टीम अनजाने में भी अपने निष्कर्षों पर चर्चा नहीं करे।

(ऐ) पीड़ितों के प्रति सम्मान और सहानुभूतिः केवल सूचना प्राप्त करने की बजाय पीड़ितों के अनुभवों को समझने की कोशिश की जाए तो तथ्यों की अन्वेषण की प्रक्रिया मजबूत बनती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया लोगों के जीवन में अनुचित दखलंदाजी है इसलिए तथ्यों की अन्वेषण यह वास्तव में, अन्वेषण करने वालों की उम्मीदों पर नियंत्रित आएगा और इससे पीड़ितों के प्रति हमदर्दी पैदा होगी।

(ओ) सांस्कृतिक मामलों के लिए संवेदनशीलता, अपने इतिहास, सरकार की संरचना, संस्कृति, परंपराओं, भाषा आदि मुद्दों की समझ होना भी महत्वपूर्ण है।

2. नीति और स्थापित करने के लिए अपने दृष्टिकोण का निर्धारण

संगठन की नीति और प्राथमिकताएं तथ्यों की अन्वेषण के प्रकार और मात्रा को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई संगठन घरेलू हिंसा के मामले में केवल न्याय और पुनर्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। संगठन की नीति आम तौर पर मामले की गंभीरता को, प्रभावी हस्तक्षेप की संभावना, संसाधनों की उपलब्धता, आदि आदि जैसे पहलुओं से आकार प्राप्त करती है। यह जरूरी है कि तथ्यों की अन्वेषण के बारे में कार्यकर्ताओं को विधियों और प्रलेखन के बारे में निरंतर क्षमता निर्माण होती रहे।

3. संसाधनों का उपयोग

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक साधनों और कानूनी पहलुओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में तथ्यों को स्थापित किया जा सकता है। कई बार घटनाओं के शोर-शराबे के बीच यह याद रखना आवश्यक है कि घटना को उत्तेजक बनाना का नहीं है, बल्कि निष्पक्ष विश्लेषण एवं स्थापित साधनों के उपयोग पर आधारित न्याय प्राप्त करना पैरवी का उद्देश्य है।

बाबूराम की हत्या के मामले में न्याय की आशा

बाबूराम भील एक किसान था और जागीरदार की भूमि पर खेती करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसे उत्पादन का चौथा भाग मिलता था। फसल पकने पर बाबूराम ने जमीन मालिक से अपने हिस्से की मांग की। इस पर तकरार हई और हत्या कर दी गई।

जागीरदार शक्तिशाली था। उन्होंने पुलिस जांच को प्रभावित किया और मौत का कारण दिल का दौरा दर्ज करा दिया। पोस्टमार्टम परीक्षा के बिना लाश को मुर्दाघर में रख दिया गया। रासायनिक जांच से उसके भोजन में जहर मिला और घटना के नौ महीने के बाद वास्तव में जांच शुरू हुई।

4. सबूत की विश्वसनीयता

सबूत इकट्ठा करने के लिए और उन पर जोर देने के लिए दिशा निर्देशों बनाना महत्वपूर्ण है। कोई एक मापदंड होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो मापदंड चुना जाए उसकी स्पष्ट परिभाषा तय की जाए और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए।

5. मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण

मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं उनकी गहराई से अन्वेषण करने समझ प्रदान करना तथ्यों की अन्वेषण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया इसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। घटना के पीछे क्या कारण हैं, अपराधियों का उद्देश्य क्या था और पीड़ितों पर इसका क्या असर हुआ उन्हें अन्वेषणने की भरसक कोशिश करनी चाहिए।

6. स्थानीय संपर्कों का विकास

तथ्यों के अन्वेषण की प्रक्रिया के लिए स्थानीय संपर्क महत्वपूर्ण हैं। संगठन ने लोगों को पहले से संगठित करने, नियोजन और क्षमता निर्माण के प्रयास किए हों तो वे इस समय यहाँ उपयोगी होंगे।

3. तथ्य अन्वेषण के चरण

तथ्य अन्वेषण की व्यवस्थित प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरण महत्वपूर्ण हैं:

1. तैयारी

उपयुक्त व्यवस्था हो तो प्रक्रिया को गति मिलती है और यह आसान हो जाता है और दिशा निर्धारित होती है। इससे निष्कर्ण भी मजबूत हो जाते हैं।

1.1 टीम में उतने ही सदस्य होने चाहिए जितने मामले में आवश्यक हों। संगठनात्मक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, विशेषज्ञों का उपयोग भी करना होता है। इसी तरह, अगर पीड़ित व्यक्ति महिला हो तो एक महिला को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर यह लगे कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर लोग बात नहीं करेंगे तो स्थानीय जानकार व्यक्ति को टीम का हिस्सा बना सकते हैं। एक टीम के रूप में काम करने से एकांगी दृष्टिकोण नहीं आता और आपसी असहमति से होने वाली बाधाएं भी नहीं आती। यदि दो व्यक्तियों की टीम हो तो इस तरह की बाधाएं आती ही हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि तथ्यों का अन्वेषण करने वाली टीम तीन लोगों की हो और उसमें कम से कम एक महिला हो।

1.2 यह जरूरी है कि स्थल पर जाने से पहले तथ्य अन्वेषण एजेंसी टीम साथ बैठे और घटना की तारीख से आखरी तारीख तक उपलब्ध जानकारी प्राप्त करे। यह सब कुछ पहले से तय वैसे लिखा जाए ताकि टीम के सदस्यों में एक समान समझ पैदा हो।

1.3 टीम के सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन महत्वपूर्ण है। इसके दो मुख्य कारण हैं: जिम्मेदारियों के विभाजन से तथ्यों के अन्वेषण की प्रक्रिया में तेजी आती है और उससे न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जिम्मेदारी की स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति के बिना उपयुक्त कदम उठाए जाएं और अधिक गहन जांच हो सके।

1.4 जहाँ तक संभव हो, जिसका अध्ययन करना हो, जिनसे मिलना हो, जो सवाल पूछने हों, आदि के लिए एक सूची बनाना चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर इन्हें बदला जा सकता है।

2. स्थल पर जाँच

इसके परिणाम स्वरूप स्थिति के बारे में समझ पैदा होती है। घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में नक्शांकन करके गहरी समझ प्राप्त करनी चाहिए। घर या मकान के अंदर घटना हो सकती है या नहीं, दरवाजे या खिड़कियां खुले थे या बंद, गवाह कौन थे, आदि प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि संभव हो तो साक्ष्य के रूप में तस्वीरें भी ली जा सकती हैं।

3. साक्षात्कार (मुलाकात)

तथ्यों के अन्वेषण में और विभिन्न पक्षकारों के साथ मुलाकात और उचित दस्तावेज एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्थल पर स्वयं द्वारा जांच के समय में इस मुलाकात की व्यवस्था की जा सकती है। जिसको मुलाकात करनी हो उसे उचित तैयारी कर लेनी चाहिए।

3.1 मुलाकात शुरू करने से पहले तथ्य अन्वेषण टीम को अपनी पहचान बतानी चाहिए और अपना स्वयं उद्देश्य यथा संभव संक्षेप में बताना चाहिए।

3.2 मुलाकात की जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है और पीड़ितों व गवाहों के साथ बात करते समय डराने या प्रभावित करने वाला कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं होना चाहिए। यह भी पाया गया है कि पीड़ित व्यक्ति परिवार के सदस्यों के दबाव में होता है। बलात्कार से पीड़ित महिला और उनके परिवार भय, शर्म और सामाजिक दबाव अनुभव करते हैं।

3.3 मुलाकात करने वाले के लिए सुनने का कौशल महत्वपूर्ण

हैं। प्रश्न खुले और ध्यान आकर्षक होने चाहिए, कोई बात तय करने वाले नहीं होने चाहिए, संवेदनशीलता वाले हों तो लोगों को बात करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जवाब देने वाले को लगना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता को बातचीत में रुचि है और ध्यान दे रहा है। साक्षात्कार करते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करना चाहिए, बराबर बैठें, ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं बैठें आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए।

3.4 मुलाकत का प्रलेखन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सवाल पूछते हैं, उसे लिखना नहीं चाहिए। दल के एक सदस्य को जवाब लिखने की जिम्मेदारी सौपनी चाहिए। प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण में यह महत्वपूर्ण बन जाता है और साक्षात्कार प्रक्रिया में कोई गलती रह जाए तो समीक्षा के समय उसे ठीक किया जा सकता है। यदि संभव हो तो टीम के दो सदस्य जवाब लिखें या मुलाकात को रेकार्ड किया जाए। क्योंकि कुछ रह नहीं जाए और जवाब में जो संवेदनाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जा सके। मैं यह महत्वपूर्ण है कि जिससे मुलाकात करनी है उससे रिकार्डिंग की अनुमति ली जाए।

3.5 प्रतिवादी (आरोपी) से मुलाकात करना अक्सर मुश्किल होता है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, इसके बिना अन्वेषण अधूरा है। इससे घटना के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार यह भी देखा है कि पीड़ित कई बार अपनी बात साबित करने के लिए अनावश्यक आरोप लगा देते हैं या पुरानी दुश्मनी या विवादों का खुलासा नहीं करते या उनकी भूमिका के बारे में नहीं बताते। आरोपी से मुलाकात करने से तथ्यों की अन्वेषण रिपोर्ट काफी वास्तविक बन जाती है।

4. अन्य प्रासंगिक प्रलेखन विश्लेषण

कई बार ऐसा होता है कि संगठन या तथ्य अन्वेषण टीम को घटना की जानकारी देर से मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि जाँच या अन्वेषण स्वतः ही आगे बढ़ गए हों। इस प्रकार के कदमों का विश्लेषण करने में प्रलेखन उपयोगी होता है। अन्यथा संगठन न्याय प्राप्त करने के लिए किस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए इसकी जानकारी प्रलेखन से मिलती है। एफ.आइ.आर. में घटना का वर्णन होता है, घटनाक्रम होता है और मामले को लगने वाले कानूनी मुद्दे होते हैं। इसमें जांच अधिकारी का विवरण और कानूनी मुद्दे होते हैं। यह जांच अधिकारी का विवरण प्रदान करता है।

प्रेम और बलात्कार

पाचपादरा गांव की कमलादेवी एक युवक के साथ भाग गई थी। सामाजिक शरम को ढंकने के लिए अपने परिवार के दबाव के तहत उसने आरोप लगाया की उसके ससुरालवालों ने उस पर बलात्कार किया और बेच दिया।

उसने यह निवेदन किया कि धारा-161 (सी.आर.पी.सी.) के तहत गवाहों के बयान और धारा-164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान से अलग थे। इससे तथ्य अन्वेषण टीम जागरूक हो गयी। जब उसने कमलादेवी से अकेले में अलग से बात की तो उसने सच्ची बात कही और अगर उसका परिवार अनुमति दे तो वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहता थी । पुलिस ने निष्कर्ष का उल्लेख किया और निर्दोष ससुराल वाले त्रास से बच गए।

शारीरिक हिंसा के दर्ज मामलों की चिकित्सीय जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चोटों के रूप और मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। चोट के लिए उपयोग किए गए हथियार की भी जानकारी मिलती है। केस में कानूनी प्रावधानों के साथ उपयोग करने के लिए भी यह मददगार होता है।

उदाहरण के लिए कोई आंतरिक चोट लगी हो, चोट गहरी हो, सिर पर चोट लगी हो, या तेज हथियार से चोट पहुंचाई गई हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि हत्या के आशय से चोट पहुंचाई गई है। पुलिस रिपोर्ट भी घटना स्थल की स्पष्ट तस्वीर बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नक्शांकन अधूरा हो तो भी वह मध्यस्थता का मुद्दा बन जाता है। हत्या के मामलों में,

पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह मृत्यु के समय और कारण पर प्रकाश डालता है। रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट भी ऐसे मामलों में उपयोगी होती है। पीड़ितों, गवाहों और कर्मचारियों को भी मिलने के प्रयास करना चाहिए। पीड़ितों से मूल दस्तावेज नहीं लेना चाहिए। अन्य पत्राचार और घटना की मीडिया कवरेज भी तथ्यों के अन्वेषण में उपयोगी होती है। यदि आरोपी आदतन अपराधी हो तो अतीत में उसके कृत्यों से एक मजबूत मामला बनता है।

5. विश्लेषण

वास्तव में बहुत प्रभावी बनने के लिए यह जरूरी है कि जल्द से जल्द विश्लेषण किया जाए। टीम के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि और जहां तक संभव व्यापक विश्लेषण के सभी पहलुओं को कवर किया जाना चाहिए। निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है:

1. मौके पर खुद की जांच के निष्कर्ष।
2. पीड़ितों के साथ मुलाकात के महत्वपूर्ण पहलू।
3. गवाहों और पीड़ितों की मुलाकातों से उत्पन्न होने वाली समानताएं और मतभेद।
4. किस पहलू की जांच की गई है।
5. संबंधित दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले पहलू।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्लेषण अंत में होगा। समग्र प्रक्रिया के दौरान यथा संभव अधिक से अधिक बार यह होना चाहिए। इससे तथ्य अन्वेषण करने वाली टीम के सदस्यों एकसमान समझ उत्पन्न होती है।

कानूनी लड़ाई में कई पहलू महत्वपूर्ण होते हैं और तथ्यों के अन्वेषण के लिए सभी को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे आरोपी और पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति, पिछले कुछ वर्षों के दौरान गांव में इस तरह के अपराध से पीड़ित परिवार की स्थिति, अन्य हितधारकों की स्थिति। अन्य हितधारकों में पारंपरिक सामाजिक आयोग, गांव के नेता, राजनीतिक लोग आदि शामिल होते हैं और वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं। मजबूत मामला कानूनी रूप से अक्सर लेकिन सामाजिक कारणों के लिए विफल रहता है।

6. विभिन्न तरीकों से सूचना की जाँच

यदि जानकारी में अंतर हो तथ्यों के अन्वेषण की रिपोर्ट विश्वसनीय बनने तक। जानकारी को अनेक स्रोतों से तुरंत सत्यापित किया जाना चाहिए।

7. तथ्य अन्वेषण की रिपोर्ट

मानव अधिकारों के मुद्दों पर काम कर रहे संगठनों को अधिक हस्तक्षेप करने के लिए तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट आधार होती है। पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर वकालत की जा सकती है। संपूर्ण और स्पष्ट वर्णन से यह रिपोर्ट प्रभावी होती है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल होना चाहिए:

1. घटना का संपूर्ण विवरण और घटनाक्रम।
2. मौके पर जांच के निष्कर्ष और वहां तक पहुंचने के कदम और स्पष्ट कारण।
3. मुलाकातों से प्राप्त निष्कर्ष में घटना का विवरण, घटनाक्रम, उद्देश्य और भी मतभेद भी होते हैं। जिनकी पुष्टि हो गई हो उनका विवरण और जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी उनका स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
4. सरकारी दस्तावेजों से प्राप्त निष्कर्ष।
5. अन्वेषण टीम का अनुभव और विश्लेषण। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि मानव अधिकारों के किन प्रावधानों और किन साधनों का उल्लंघन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से निर्देश होना चाहिए कि विश्लेषण में किस दिशा में किस कदम के साथ मध्यस्थता की जाएगी। सभी विवरण और विश्लेषण में मूल दस्तावेज के संदर्भ पृष्ठ यदि संभव हो तो एक ही दिन में पूरा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट लिखने और पढ़ने से रही हुई कमियां ध्यान में आती हैं जांच के दूसरे दिन उसे सुधार दिया जाता है।

8. तथ्य अन्वेषण की रिपोर्ट का प्रबंधन

जिन मामलों के लिए तथ्य अन्वेषण किया जा रहा है उसके

प्रत्येक मामले की एक अलग फाइल होनी चाहिए। उसमें उस मामले के सभी दस्तावेजों को शामिल किया जाना चाहिए। बेहतर प्रबंधन और अधिक आसानी से रिपोर्ट को निम्नलिखित क्रम रखना चाहिएः

1. शुरू में अनुक्रमणिका होनी चाहिए। सभी पृष्ठों को सुव्यवस्थित होना चाहिए और उन पर संख्या लिखी होनी चाहिए ताकि फ़ाइल में कुछ भी इधर-उधर नहीं हो।
2. केस और मध्यस्थता की मुख्य बातों का सारांश।
3. तथ्य अन्वेषण की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।
4. मूल नक्शा, मुलाकात का विवरण और मामले से संबंधित दस्तावेज।

प्रभाव और प्रक्रिया के संस्थानीकरण के प्रयास

तथ्यों के अन्वेषण के कारण वकालत को बल मिला है। 11 मामलों में या 21 प्रतिशत मामलों में पीड़ित दलितों के पक्ष में निर्णय आया। यह मात्रा अत्याचार विरोधी अधिनियम के तहत जिन केसों में सजा सुनाई जाती है उसकी राष्ट्रीय दर से अधिक है। तथ्यों के अन्वेषण में के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में समुदाय आधारित संगठनों, सहभागी संगठनों और राजस्थान में कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दलित समुदाय के 374 नेताओं को प्रशिक्षित किया गया। उनमें से, कम से कम 50 कम से कम नेता आज ऐसे हैं कि दलितों पर अत्याचारों के मामलों आत्मविश्वास पूर्वक प्रभावी ढंग से तथ्य अन्वेषण कर सकते हैं और आगे की वकालत भी कर सकते हैं।

50 मामलों में को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है, तथ्य अन्वेषण से लेकर कानूनी सहायता और मार्गदर्शन देने तक यह प्रलेखित किया गया है। इस मुद्दे पर अधिक क्षमता निर्माण के प्रयासों के लिए सीखने सामग्री के रूप में यह काम आता है। प्रत्येक मामले पर देखरेख रखी जाती है और समीक्षा की जाती है और इसमें 'उन्नति' की संगठनात्मक भूमिका क्या रहेगी है, वह किस पर ध्यान केंद्रित करेगी, किस सीमा तक हस्तक्षेप करेगी यह निर्धारण करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठ 36 का शेष

25 गांवों में जिन 215 लोगों को टीबी, प्रजननलक्ष्यी रोग और अन्य गंभीर बीमारी हुई थी उनमें से 75 लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। जिन आठ गांवों में आंगनवाड़ियां नहीं थी है वहाँ शुरू करने की कोशिश की जा रही है। जिन गांवों में आंगनवाड़ी नहीं हैं वहां की 21 गर्भवती महिलाओं, 161 लड़कों और 124 लड़कियों कुल 285 बच्चों, 42 धात्री माताओं और 44 किशोरियों को ये सेवाएं नहीं मिलती थी जिससे फतेहसागर गांव में एक आंगनवाड़ी खोलने का प्रस्ताव भी भेजा गया। बालोतरा के सरपंच ने और कल्याणपुर में उसके लिए आग्रह किया गया है और प्रस्ताव की एक प्रति पंचायत को भी दी गई है। फिर उसे सी.डी.पी.ओ. को भी भेजा गया था। जिन 17 गांवों में आंगनवाड़ी है वहां भी 208 लोग उनका लाभ नहीं ले रहे हैं। 30 लड़कों, 29 लड़कियों, 14 गर्भवती महिलाओं, 15 लाभार्थियों ने इसका फायदा उठाया। इस समय आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान सेवाओं पर नजर रखने के लिए समुदाय के नेता आते रहते हैं। इन मुलाकातों के आधार पर गई कार्रवाई की जाती है।

इस परियोजना के प्रथम चरण में असहाय दलित परिवारों को चारा उगाने के लिए भूमि का विकास करने के लिए सहायता दी गई थी। 99 प्रतिशत पौधे उगे हैं। इस भूखंड के विकास के लिए समुदाय कार्यकर्ता वहां आते हैं ओर उचित सलाह दी थी। पौधे की कटाई, तार की बाड़ का निर्माण और पानी देने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया है। 55 परिवारों को नरेगा योजना में शामिल किया गया। जून के महीने में पशुचिकित्सा शिविर आयोजित किए गए थे और अगस्त -2012 तक हर गांव में दो शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। 643 असहाय परिवारों को उनके घर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए सहायता दी गई थी। इससे 81 परिवारों को टांके बनाने की अनुमति मिली और उनके 12 टैंकों का निर्माण पूरा हो गया है।

पुनर्स्थापन, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण पर नया कानून

विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, विशेष रूप से गरीब किसानों, आदिवासियों और दलितों की भूमि के संदर्भ में देश भर में हल्ला मच रहा है।

भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून ला रही है जिसमें भूमि के अधिग्रहण को बहाली और पुनर्वास के साथ जोड़ा गया है। इस बारे में 'द हिन्दू' में 13-9-2012 को प्रकाशित योजना आयोग के सदस्य **श्री मिहिर शाह** के अंग्रेजी लेख का अनुवाद यहां प्रस्तुत किया जा रहा।

प्रस्तावना

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास हो रहा है और समाज अपने लोगों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मजबूत मांग कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में इस प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है। हालांकि, इसके लिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण हुआ और जिन असहाय लोगों को की आजीविका का आधार भूमि पर था उनकी भूमि का अधिग्रहण होने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई लगता है।

आजादी के बाद भारत में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित जिसका लोगों की संख्या एक स्वतंत्र अनुमान के अनुसार 6 करोड़ है। दुनिया भर के देशों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से केवल एक एक तिहाई लोगों का ही व्यवस्थित पुनर्स्थापन हुआ है। बहुमत वे ज्यादार ग्रामीण गरीब हैं जिनके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं है, वे किसान, गरीब मछुआरे और खनिक श्रमिक हैं। विस्थापितों में लगभग 60 प्रतिशत आदिवासियों और दलित समुदायों के लोग हैं। हमारा 90 प्रतिशत कोयला, खनिजों का 50 प्रतिशतऔर ज्यादातर बांध आदिवासी क्षेत्रों में हैं, इसलिए, इस बात की संभावना रहती है कि इन क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहण पर विवाद खड़े हों।

एक सिक्के के दो पहलू

हमें निर्णायक रूप से अंग्रेजों के जमाने में बनाए भूमि अर्जन अधिनियम -1894 को बदलने की जरूरत है। उसमें भारत के लोग चीज थे। हम लोग ऐसे नागरिक हैं, जिन्हें संविधान के तहत इसकी गारंटी दी गई है। ऐसे अधिकारों के बारे में बताने की जरूरत है। इसी प्रकार, यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण, बहाली और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार स्थापित करना चाहता है।

इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन और पुनर्वास के साथ संबद्ध किया गया है। इसलिए इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखना होगा। प्रत्येक मामले में, भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन होना ही चाहिए। एक कानून में ही दोनों को शामिल किया गया हो तो पुनर्स्थापन और पुनर्वास को अनदेखा किया जा सकता है। अब तक किसी भी प्रकार के परिणाम की चिंता किए बिना, शर्तें रखी जाती थी वह नहीं होना चाहिए, नए बिल में इसका ध्यान रखा गया है।

इस बिल पर सभी हितधारकों के साथ बहुत पारदर्शी तरीके से चर्चा-विचार करके पिछले एक वर्ष के दौरान आकार दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति ने जो सुझाव दिए थे लगभग उन सभी पर विचार किया गया है। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का है। दुनिया भर में यह पद्धति अच्छी तरह से स्थापित है, और इसने अधिक न्यायसंगत और समावेशी तरीके के विकास को आगे बढ़ाने में मदद की है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में भूमि का अधिग्रहण करने कोई

सार्वजनिक उद्देश्य हासिल होता है या नहीं, कितने परिवारों को प्रभावित करता है, और कितनी भूमि पर अधिग्रहण से प्रभाव पड़ने वाला है शामिल हैं।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में विकास परियोजना से उत्पन्न होने वाले सामाजिक लाभ का अध्ययन लागत के संदर्भ में किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के विचारों को निश्चित रूप से शामिल किया जाए और यह देखा जाए कि वे उनकी रिपोर्ट में शामिल किए जाएं। इसके लिए सार्वजनिक सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, जगह और समय का काफी प्रचार किया जाएगा।

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की जांच विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों के एक समूह के द्वारा की जाएगी। इसमें दो समाजवैज्ञानिकों, पंचायत के दो प्रतिनिधियों, पुनर्वास क्षेत्र के दो विशेषज्ञों और विकास परियोजनाओं व पुनर्वास से संबंधित विषय का एक-एक तकनीकी विशेषज्ञ का समावेश होगा। यदि विशेषज्ञ समूह की ऐसी राय हो कि इस परियोजना से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, या संभावित लाभों की तुलना में सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव अधिक होंगे तो वे परियोजना को छोड़ देने की सिफारिश करेंगे।

अगर विशेषज्ञ समूह परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देता है, तो भी प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए इस कानून में बहुत मजबूत प्रावधान किये गये हैं। इसमें 100 प्रतिशत वित्तीय क्षतिपूर्ति, शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत बाजार से दुगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की दर बाजार मूल्य से दो से चार गुना का प्रावधान रखा गया है। बाजार कीमत दो से चार गुणा मूल्य की दर आकार अवरोही क्रम को ध्यान में रखा जाएगा परंतु आकार के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

प्रत्येक प्रभावित परिवार को पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज का व्यापक लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं में जमीन वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को सिंचित क्षेत्र में एक एकड़ भूमि मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया हो तो उनको उस मात्रा से अधिक जमीन मिलेगी। उन्हें अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन मिलेगी। प्रभावित परिवारों को झील में मछली पकड़ने के अधिकार भी मिलेगा। प्रत्येक परियोजना में घर के बदले घर मिलेगा। यदि इस परियोजना से रोजगार पैदा होगी तो परिवारों को रोजगार का अधिकार प्राप्त होगा। शहरीकरण की परियोजनाओं में विकसित भूमि में 20 प्रतिशत भूमि की मालिकी प्रभावित परिवारों के लिए आरक्षित रहेगी, तथापि, उनकी अधिग्रहीत भूमि की तुलना में ही भूमि आरक्षित रखी जाएगी।

अन्य स्थानों पर पुनर्स्थापन करना हो तो प्रत्येक प्रभावित परिवार को जीवन निर्वाह के लिए अनुदान, पुनर्स्थापन भत्ता और परिवहन भत्ता होगा मिलेगा, अनुसूचित जाति और अनुचित आदिवासियों के परिवारों के लिए यह अधिक होगा। जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण नहीं होगा लेकिन अगर वहाँ भूमि अधिग्रहण करना पड़े तो ग्राम सभा या पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद की मंजूरी लेनी होगी। उनका पुनर्स्थापन एक साथ एक ही अनुसूचित क्षेत्र में करने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे अपनी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें।

प्रत्येक पुनर्स्थापन क्षेत्र में सड़कों सहित सुविधाओं कई सहूलियतें प्रदान की जाएंगी और आसपास की पक्की सड़कों तक सभी मौसम के लिए सड़क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा परिवहन सेवाओं, जल निकासी और सफाई सेवाओं, पीने के पानी के स्रोत, बिजली कनेक्शन और सार्वजनिक बिजली सेवा, शिक्षा के अधिकार के कानूनी प्रावधान के अनुसार स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बुनियादी सिंचाई सुविधाओं, बीज और खाद भंडारण सुविधाओं, उचित मूल्य की दुकानों, कब्रिस्तान और श्मशानगृह, आंगनवाड़ी, पशु उपचार केन्द्र, गौचर भूमि, बच्चों के खेल का मैदान, सामुदायिक केंद्र, पूजा, धार्मिक स्थलों, आदि सुविधाएं भी होंगी।

विरोध से स्वीकार तक की यात्रा

प्रारंभ में निजी कंपनी क्षेत्र में इस कानून का विरोध किया गया था, लेकिन अब यह थम गया लगता है। अब वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मुआवजा के रूप में देय राशि और पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए होने वाला खर्च परियोजना से होने वाले लाभों की तुलना में बहुत कम है। वे इस बारे में भी आश्वस्त हो गए हैं कि भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जो भुगतान किया जाएगा वह भविष्य के लिए उस क्षेत्र की भूमि दर के आधार नहीं होगा कि जिससे सट्टाखोरी से भाव बढ़ता रहे।

हालांकि, एक मुद्दे पर चिंतित हैं कि इस कानून के तहत नई प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अनंत है। यह बात प्रभावित परिवारों के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया दर्दनाक रही है और विस्थापितों के लिए यह एक त्रासदी की तरह होती है।

इस प्रकार, वर्तमान में बिल का जो नया रूप तैयार किया जा रहा है उसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निश्चित समय सारिणी है और इस समय सारिणी अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसमें सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया के छह महीने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का औसत समय 35 महीने का है। तीन महीने के भीतर मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा और पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए निर्धारित राशि का भुगतान छह महीने के भीतर किया जाएगा। सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं के मामले में भी प्रावधान किया गया है और भूमि के डूब में जाने से छह महीने पहले पुनर्स्थापन और पुनर्वास करने का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक - निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं

निजी या सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पीपीपी) की योजनाओं के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण के मामले के बारे में सवाल उठाए गए हैं। लेकिन हमें पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में काफी ढांचागत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा। भूमि के बाजार के बारे में जानकारी और शक्ति के बारे में असमानताएं अस्तित्व में हैं तब ऐसे कई मामलें देखने में आए हैं कि किसान मजबूरी में मामूली कीमत पर अपनी भूमि और अधिक ताकतवर लोगों को बेच देते हैं।

कई मामलों में तो उस भूमि उपयोग इस तरीके से हुआ है कि पहले बताए से बिल्कुल अलग होता है जिसमें भूमि माफिया ने काफी लाभ अर्जित किया होता है, और मूल भूमि बेचने वाले को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए इसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए। उसे एक पारदर्शी और बदलाव योग्य नियमों और विनियमों को बनाना है और देखना है कि उनका क्रियान्वयन हो ताकि जब बड़ी मात्रा में भूमि का हस्तांतरण हो तब प्रत्येक मामले में, जमीन और आजीविका गुमाने वालों के हितों की रक्षा हो सके। सभी निजी या सार्वजनिक - निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं में जिनकी जमीन जाने वाली है उनमें से 80 फीसदी का सहमत होना आवश्यक होगा। बहुत बड़ी मात्रा में भूमि की निजी खरीद होने पर भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार सीमा तय करेगी। दरअसल, यह प्रावधान एक ऐतिहासिक प्रावधान है।

इस बिल में खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें कई फसलों वाली सिंचित भूमि की सीमा अधिग्रहण की जाने वाली कुल भूमि के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारें यह सीमा निर्धारित करेंगी और इसके लिए वे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय करेंगी क्योंकि हर राज्य की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। 1894 के कानून में भूमि के तत्काल अधिग्रहण के बारे में अपमानजनक प्रावधान था, और उसे इस नए कानून में रद्द कर दिया गया गया है यही कहा जा सकता है, क्योंकि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा के संकट की वजह से, केवल न्यूनतम भूमि अधिग्रहण के मामले में यह प्रावधान लागू किया गया है।

आशा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पारित हो जाएगा जिससे ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय हुआ है वह दूर हो जाएगा और विकास अधिक समावेशी और भागीदारी बनेगा।

प्राथमिक सेवाओं के लिए समुदाय-आधारित देखरेख

गरीबों के गरीब रहने का एक कारण यह है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। इन सेवाओं की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं, और गुणवत्ता की देखरेख स्थानीय लोगों द्वारा की जाए तो वे प्रभावी ढंग से गरीबों तक पहुँच सकती हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित देखभाल कैसे की गई और उसके असरकारक परिणाम कैसे मिले उन पर 'उन्नति' की मुख्य कार्य अधिकारी **सुश्री स्वप्नी शाह** और कार्यक्रम अधिकारी **श्री दिलीप सिंह बिडावत**ने इस लेख में वर्णन किया है।

प्रस्तावना

भारत में हाल के वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, वे आर्थिक पुनः वितरण और समानता के मुद्दों के बारे में चिंता पैदा हुई हैं। सामाजिक उपेक्षा का आधार जातिगत व्यवस्था और महिलाओं के प्रति भेदभाव रहा है। गरीबी को कम करने के लिए और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने में यह सबसे बड़ी बाधा है। नागरिकों और शासन के निकायों के बीच संघर्ष और संबंधों में विश्वास की कमी लगातार बढ़ रही हैं। नागरिक और विशेष रूप से गरीबों में भ्रष्टाचार, प्रतिभावात्मकता के अभाव और बुनियादी सेवाओं की कमी से भ्रम टूट रहा है। एक तरफ शासन में सुधार के लिए शोर मच रहा है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है, तो दूसरी ओर, गरीब स्थानीय स्तर पर अपनी आवाज सुनाने के लिए लड़ रहे हैं।

राजस्थान में बहुत कम विकास हुआ है। इसका आर्थिक आधार खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन और कृषि है। आमतौर पर खेती इंदिरा नहर के आसपास के क्षेत्र में की जाती है। आय असमानता बहुत अधिक है, लेकिन नीचे औसत विकास दर और इस प्रकार असमानता बदलती रही है। जाति - आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मौजूद है और पितृसत्तात्मक प्रणाली कि जड़ें पहले से ही बहुत गहरी हैं जिससे स्थानीय राजनीति पर पुरुषों का भारी प्रभुत्व है। प्रगतिशील प्रशासनिक कानून, स्थानीय राजनीति उपेक्षित लोगों को बचाने, संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के लिए के प्रयास करने के बावजूद और हालांकि जातिगत भेदभाव और महिला - पुरुष भेदभाव विकास के लाभों के वितरण को प्रभावित करता है, और सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसरों पर भी प्रभाव डालता है।

'उन्नति' नागरिक नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है और पिछले 20 वर्षों में, हस्तक्षेप के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव के आधार पर इसने इस दृष्टिकोण को अपनाया है। पिछले दशक के दौरान हमने कई ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक उत्तरदायित्वों के अनेक साधनों का उपयोग किया है। हमारे नागरिक नेतृत्व भागीदारी और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, पूरी तरह से समुदाय - आधारित और टिकाऊ साधन तो दूर ही रहा है। पश्चिमी राजस्थान निकलने के मामले में अधिक इसलिए रहा कि यहां दलित समुदाय में साक्षरता बहुत कम है और महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भारी पाबंदी है।

पिछले 12 वर्षों से 'उन्नति' ने दलितों को न्याय के लिए समुदाय आधारित संगठनों और वे सूखे से निपटने के लिए बेहतर तरीके से समुदाय को समर्थन प्रदान किया है क्योंकि थार रेगिस्तान के इस सूखे जिले में बहुत आम है। किसी विधवा महिला का जीवन निर्वाह 'नरेगा' से मिलने वाला रोजगार होता है, या विधवा पेंशन, या कठिनाई एक स्थिति में बकरियों को बेचा जाता है तब सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके दो - तिहाई आय तो सरकार द्वारा प्रदान सुरक्षा के नेटवर्क पर निर्भर करती है। लेकिन अगर इस नेटवर्क में छेद हो जाए या यह काम नहीं करे तो स्थिति अकल्पनीय रूप से बिगड़ती है। ऐसे कई मामलों का दस्तावेजीकरण

हुआ है जिनमें सामाजिक उत्तरदायित्वों के साधनों का अधिक उपयोग हुआ हो और जवाबदेही पैदा हुई थी। हालांकि, वहाँ प्रक्रियाओं का संदर्भ कम है या सामाजिक जवाबदेही किस तरह लाई जा सकती है उसके बारे में कम बात की गई है। इस लेख में इस प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण

नागरिकों की भागीदारी पर ही जिस जवाबदेही का निर्माण निर्भर करता है वह सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह गरीबी में कमी और प्रभावी और चिरंतन विकास के लिए प्रमुख योगदान देता है। विश्व विकास रिपोर्ट-2004 में जवाबदेही को 'गरीबों के लिए सेवाएं काम करें' के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। उन्होंने विकास की बातचीत में बुनियादी सेवाओं और गरीबों द्वारा उनका ध्यान रखने को केन्द्र में रखा गया है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि 'गरीबों को सेवाएं पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं मिलती, यदि गरीब लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए इस प्रणाली में प्रावधान रखे जाएं, तो उनके लिए वे सेवाएं काम करें, वे उस पर निगरानी रखें और सेवा प्रदानकर्ताओं को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए, नीति निर्धारण में उनकी आवाज बुलंद हो और गरीबों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदानकर्ताओं प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक जवाबदेही के कई प्रयासों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। गरीब जो सेवाएं प्राप्त करते हैं उसमें वे खुद कितने शामिल रहते हैं उसकी मात्रा में अंतर होता है।

सामाजिक जवाबदेही तंत्र में ऐसे कई कार्य शामिल हैं जिसमें नागरिक, समुदाय और नागरिक समाज के संगठन सरकार को जवाबदेह मानते हैं। परंपरागत रूप से, जवाबदेही प्रणाली में ऊपर से नीचे की ओर औपचारिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता था जिससे राज्य प्राधिकारी को मजबूत किया जाता था। इसमें यह सोचा जाता रहा था कि चुनाव की राजनीति में लोग अपनी पसन्द तो व्यक्त करते ही हैं, और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि नीतियां बनाते हैं और राज्य को जवाबदेह बनाते हैं। इस दृष्टिकोण में राज्य की संस्थाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और उसमें लोगों के साथ परामर्श के लिए अवसर रखा जाता था, लेकिन नागरिकों और राज्य के बीच शक्ति संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता था।

यह 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इस व्यवहार में बदलाव आया और सहभागी विकास और समानांतर उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण विकसित हुआ। हाल ही में, नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और उपेक्षित लोगों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नागरिकों के नेतृत्व के तहत उत्तरदायित्व स्थापित करने पर ध्यान दिया गया है, चुनाव के अलावा भी उनकी आवाज बुलंद हो और नीति निर्धारण में सीधे भाग ले सकें। सशक्तिकरण और उत्तरदायित्वों के दृष्टिकोण को प्रेरित करने का उद्देश्य गरीबों और पिछड़े लोगों को संसाधन, संपत्ति और उपलब्ध क्षमताएं प्राप्त हों ताकि वे अपने विकास के लिए चयन कर सकें और उन पर नियंत्रण रख सकें में हैं और इसमे वे निर्णयकर्ताओं को जवाबदेह बना सकें। सशक्तिकरण और जवाबदेही से में लंबे समय का परिवर्तन आता है। जिसमें परिवार, समुदाय, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के जो असमान संबंध हैं उनमें स्वयं नागरिकों द्वारा ही परिवर्तन लाया जाएगा।

पिछले 10 वर्षों के दौरान, डी.एफ.आइ.डी. द्वारा नागरिकता, सत्ता और राज्य और समाज के बीच रिश्ते के बारे में कई शोध कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि नागरिकों द्वारा आवाज उठाना ही पर्याप्त नहीं है, या स्थानीय सरकार का अधिक उत्तरदायी बनना ही पर्याप्त नहीं है। नागरिकों की भागीदारी क्षमता और राज्य की प्रतिभाव क्षमता बढ़ाने के के लिए भी साथ काम करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक जवाबदेही में नागरिकों की आवाज बुलंद होती है और राज्य सक्रिय भागीदारी के लिए भी अवसर पैदा होता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले सामाजिक उत्तरदायित्व के साधन इस प्रकार हैं:

1. **नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड:** सहभागी जनमत सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदर्शन के बारे में राय मांगी जाती है।
2. **समुदाय का स्कोर कार्ड:** ग्राम बैठकें आयोजित करके सहभागी

सर्वेक्षण करना जिसमें सेवा प्रदाताओं को तुरंत ही प्रतिक्रिया दी जाती है।

3. **सार्वजनिक व्यय का सर्वेक्षणः** सार्वजनिक धन का प्रवाह कैसे होता है उसका मात्रात्मक सर्वेक्षण करना ताकि यह पता चले कि कितने संसाधन वास्तव में लक्षित समूहों तक पहुँचते हैं।
4. **सहभागी बजट प्रक्रियाः** बजट बनाने, निर्णय लेने की प्रक्रिया और बजटीय कार्यान्वयन नागरिकों के निगरानी की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी।
5. **सामाजिक अन्वेषणः** संगठन के संसाधनों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक उद्देश्यों का विश्लेषण करने के लिए, और आदान-प्रदान की भागीदारी प्रक्रिया।

ªÉ½ ºÉ´ÉÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉEò VÉ´ÉɤÉnäù½ÉÒ Eäò |ÉªÉÉäºÉ EòÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉEò BEòjÉÒEò®úhÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨ÉÉå +É®ú ±ÉÉäMÉ ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ +É®ú =ºÉ {É®ú ={É¦ÉÉäHòÉ+É Eäò ºÉ¨ÉÉ´ÉäɶÉ EäòÆ +xÉÖºÉÉ®ú {ÉʮÉiɪÉÉ +É®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò SɪÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +É®ú ½èxÉÉ SÉÉÊ½B* ºÉÉäEòÉiÉÆjÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, +ÊlÉEò +É®ú ¶ÉÉÊlÉEò EòÉ®úEò EòÉ vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú <xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®ú VÉ´ÉɤÉnäù½ÉÒ EòɪÉÇGò¨É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 2007 ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò =kÉ®únùɪÉi´É Eäò |ÉªÉÉäºÉ EòÒ ºÉ¡òÉ±ÉiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉä +É´É¶ªÉEò EòÉ®úEò ÊxÉ¨xÉʱÉÊJÉiÉ ½èþ:

1. ºÉÉ´ÉÇÊxÉEò lÉäjÉ +É®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉnù¦ÉÇ EòÉ Ê´É¶±Éä¹hÉ Eò®úxÉÉ*
2. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò =kÉ®únùɪÉi´É Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®úxÉä Eäò ʱÉB ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ¨lÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ*
3. xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÉ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ nùxÉÉ*
4. xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÒ ºÉÊGòªÉiÉÉ ¤ÉgøÉxÉÉ*
5. VÉxÉ¨ÉiÉ uùÉ®úÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ Eäò¨ÉSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ´ªÉ´É½É®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ±ÉÉxÉÉ*

समुदाय आधारित देखभालः सशक्तिकरण और जवाबदेही का साधन

ºÉ¶ÉÊHòEò®úhÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ BÊiɽÉʺÉEò °ü{É ºÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ £ò®ú Eäò ºÉÉlÉ VÉÖc÷Ò ½è< ½èþ* =x½ÉäxÉä 1900 Eäò nù¶ÉEò ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ uùÉ®úÉ ¶ÉÉÊ¹iÉ ±ÉÉMÉÉå EòÉä =rú®ú Eäò ʱÉB ¨É´ÉªÉÉäºÉIÉiÉÉ EòÒ IÉä* Ê{ÉUô±É 15 ´É¹ÉÉå Eäò nù®úÉxÉ, ºÉ¶ÉÊHòEò®úhÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+É ¨Éå Eè< |ÉEòÉ®ú EòÒ lɨÉiÉÉB Eäò ¶ÉÉÉʨɱÉ ½Ö< ½èþ* ºÉÉ´ÉÇÊ½Eò EòÉ®úÉ´ÉÉ< Eäò uùÉ®úÉ ºÉkÉÉ Eäò ºÉ¤ÉÉvÉ EòÉ SÉxÉÉÊiÉÒ nùxÉÉ ºÉå ±ÉEò®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ SÉiÉxÉÉ +É®ú ´É®úÒªÉiÉÉ+É EòÉ ´ªÉHò Eò®úxÉä EòÒ lÉ¨ÉiÉÉ +É®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ lÉ¨ÉiÉÉ {ÉÉnùÉ ½ÉäiÉÒ ½èþ* ºÉ¶ÉÊHòEò®úhÉ EòÉ +ºÉ®ú `öÉäºÉ xÉiÉÒVÉÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ Eò®úxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è ÊVɺɨÉå ±ÉÉäMÉÉå EòÉ +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊxɪÉÆjÉiÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½è {ÉÉxÉÉ Eäò ʱÉB +É®ú VÉÉ ¨Éä ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ ±ÉMÉiÉÉ ½è =xÉ {É®ú =xÉEòÒ EòɪÉÇ Eò®úxÉä EòÒ lɨÉiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* ºÉ¶ÉÊHòEò®úhÉ Eäò ¤É½Ö-+ɪÉÉ¨ÉÒ oÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå ´ªÉÊHòMÉiÉ lɨÉiÉÉ +É®ú ºÉÉ´ÉÇÊ½Eò EòÉ®úÉ´ÉÉ< nùxÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½è ÊVɺɺÉä ¨É½i¤ÉÒ ±ÉÉxÉä ´ÉɱÉÒ +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò ÊJɱÉÉ¡ò ±Éc÷É< ±Éc÷Ò VÉÉ ºÉEäò*

+ÊvÉEòÉ®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ oÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú VÉÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è ÊEò |ÉiªÉEò xÉÉMÉÊ®úEò EòÉ ªÉ½ +ÊlÉEòÉ®ú½iÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½è ÊEò =ºÉEäò ´ªÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉä ¡èòºÉ±ÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉ欃 ½ÉäxÉä ºÉEäò* +ÊvÉEòÉ®ú - +ÊvÉEòÉ®ú oÎ¹]õEòÉähÉ +É®ú ºÉ¶ÉÊHòEò®úhÉ Eäò oÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½è ÊEò ±ÉÉäMÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉxÉ EòiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòɪÉÇ Eò®ú ºÉEòiÉ ½é, =x½ Eò´É±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiɪÉÉå ªÉÉ ´ªÉiÉÉ´É®úhÉ EòÒ Ê´ÉºÉÚ®úiÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉ®ú - +ÊvÉÉÊ®úiÉ oÎ¹]õEòÉähÉ +É®ú =kÉ®únùɪÉi´É EòÉ oÎ¹]õEòÉähÉ ¦ÉÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉå +É®ú ºÉºlÉÉ+É Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉƤÉvÉ {É®ú vªÉÉxÉ EòÊpùiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½ ½è ÊEò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®úxÉ Eäò ʱÉB xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÉ ºÉ¤É±É ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉʽB*

ºÉ¨ÉnùɪÉ - +ÊvÉÉÊ®úiÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ Eäò |ɪÉÉäºÉ <ºÉ +ÊvÉÉ®ú EòÉ¨É Eò®úiÉ ½é ÊEò ={ÉʱÉiÉ ºÉ¨ÉnùɪÉÉå ¨Éå ºÉÉ´ÉÇÊ½Eò SÉiÉxÉÉ +ÉB iÉÉ´É +{ÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò =±±ÉPÉxÉ Eäò ÊJɱÉÉ¡ò +´ÉÉVÉ =`öÉBÆ +É®ú ¤É½iÉ® ºÉÉ´ÉÉÊxÉEò ºÉ´ÉÉB |ÉnùxÉ Eò®úxÉ Eäò ʱÉB +ÊvÉEäò ºÉ +ÊvÉEäò ¨ÉÉÆMÉ Eò®úÆ* ±ÉÉäMÉiÉÉ® ºÉ´ÉɱÉ {ÉÚUô Eò® +É®ú ʴɮúÉävÉ Eò®úEäò ºÉ®úEòÉ®ú {É® nù¤ÉÉ´É ±ÉÉɪÉÉ VÉÉB iÉÉ Æ®úÉä¤ÉÉå Eäò {ÉIÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉB VÉÉBÆ* ¨ÉJªÉ´ÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉEòɺÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¤ÉÉxÉɪÉÉxÉä ºÉÉ´ÉÇ+É Eäò Ê´ÉEòɺÉ {É® ÊxɦÉÇ® Eò®úiÉÒ ½è +É® ´É½ ¨ÉÉƤÉÉ Eäò ¨ÉÉÆ±ÉEò® +ÊvÉEòÉ®úÉ EòÒ ®úIÉÉ xɽÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ* +ÊvÉEòÉ®ú - +ÊvÉÉÊ®úiÉ xÉÒÊiɪÉÉ +É® EòɪÉÇGò¨É ¦ÉÒ EòÉ ¨ÉÉÆMÉ {É® ºÉÒ¨ÉÉ¨É iÉ |ɦÉÉ´É b÷±É ºÉEò ½ CªÉÉÊEò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉºlÉÉxÉ ¨ÉJªÉ °ü{É ºÉ ¨É® - =kÉ®únùɪÉÒ ½iÉ ½ +É® V´ÉÉnùɽ xɽÓ ½iÉ* ¨ÉÉÆMÉÒ nù® Eò®úxÉ ´ÉɱÉ

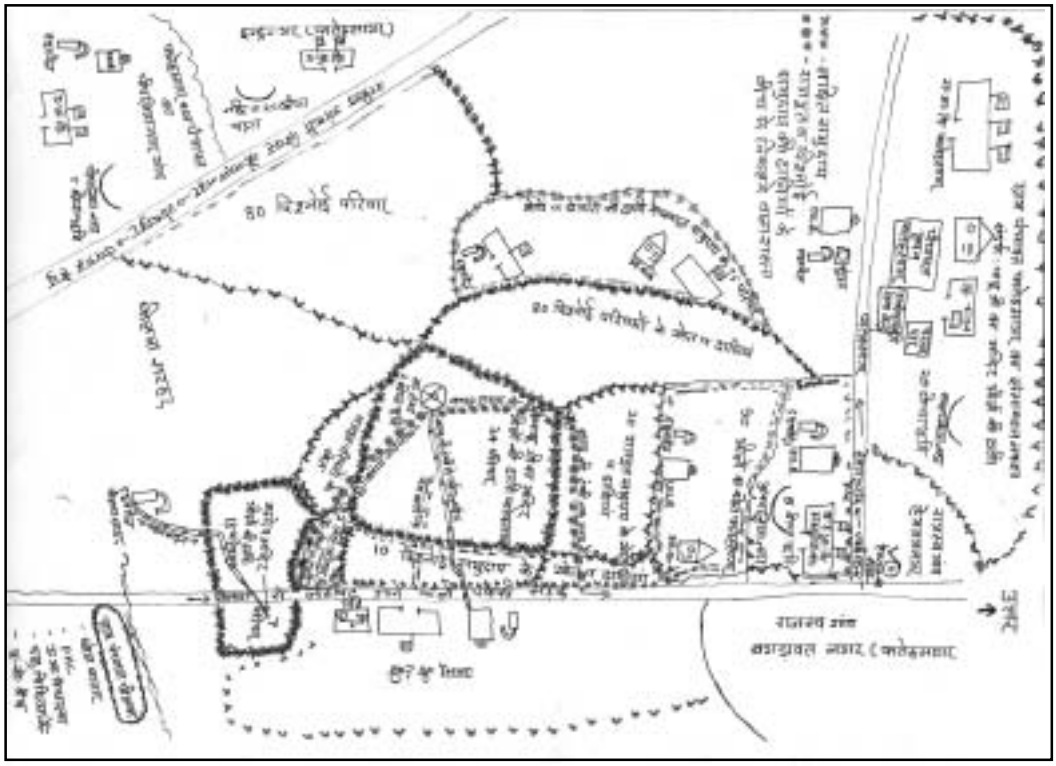

ºÉ´ÉÉ+É Eò ¤ÉÉ®Ä ¨É {ÉiÉÉ ¦ÉÒ xÉ½Ò ½ÉiÉÉ* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, +|É¡ÉÉ´ÉÒ EòÉªÉÉx´ÉªÉxÉ Eò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÊ½ÉEò EòÉ®Ä´ÉÉ< ¨É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉvÉÉB ¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®iÉÒ ½*

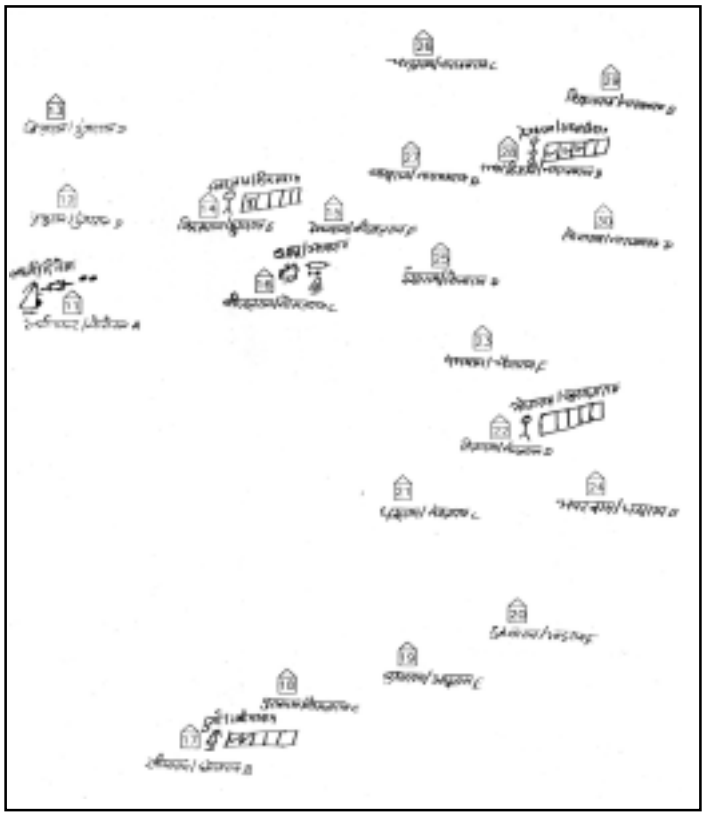

ºÉ¨ÉnÉªÉ - +ÉvÉÉÊ®iÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ EòÉ EòÉ¨É ¤ÉÉcÉ¨É® +É® VÉÉvÉ{É®Ä ÊVÉ±É ¨É 50 n®ºIÉ MÉÉ´ÉÉ ¨É nÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ uÉ®É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½* ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉÊ´ÉvÉÉ+É EòÒ Eò¨ÉÒ, EòÉ¡òÒ n®Ò, Eò¨É VÉxÉºÉJªÉÉ PÉxÉi´É +É® MÉÉ´É Eò ¤ÉÉ½®Ä, JÉiÉÉ ¨É, fÉÉhÉªÉÉ ¨É ºÉ¨É½É ¨É ®½xÉ ´ÉÉ±É ºÉ¨ÉnÉªÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ¨É +ÊvÉEò ¤ÉÉvÉÉB JÉcÒ ½ÉiÉÒ ½* nÊ±ÉiÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò MÉÉ´É ºiÉ® Eò ºÉMÉ`xÉÉ EòÉªÉGò¨ÉÉ Eò Ê±ÉB ¤ÉcÉ {É¨ÉÉxÉ {É® ºÉºÉÉvÉxÉ JÉSÉ ÊEòB VÉÉiÉ ½ ±ÉÊEòxÉ MÉ®Ò¤ÉÉ iÉEò ±ÉÉ¦É xÉ½Ò {É½SÉiÉ +É® Eò< ¤ÉÉ® MÉ®Ò¤ÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÉÊVÉÊxÉEò uÉ®É ºÉ¨ÉnÉªÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉÒ VÉÉiÉÒ ½* ½É±ÉÉÊEò, ºÉÉ¨ÉÊVÉEò +É® ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò ¦Én¦ÉÉ´É Eò EòÉ®hÉ Î¤ºIÉÊiÉ Ê¤ÉMÉcÉiÉÒ ½* ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ +¦ÉÉ´É, ¨ÉÉVÉnÉ +ÊvÉEòÉ®É +É® ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò <Eò_É ½ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ½* ºÉ¨ÉnÉªÉ uÉ®É ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉ Eò =qªÉ °ü{É ¨É ÊxÉ¨xÉÊxÉºÉÉ® ½:

1. ={ÉÊIÉiÉ nÊ±ÉiÉ +É® +ÉÊn´ÉÉºÉÒ ºÉ¨ÉnÉªÉ ºÉÉ¨ÉnÉªÉEò EòÉ¨É Eò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ Eò Ê±ÉB ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ MÉhÉ´ÉkÉÉ ¨É ºÉvÉÉ® Eò®xÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®iÉÉ ½*
2. ºÉ´ÉÉ +É{ÉÊiÉEòiÉÉ +É® ºIÉÉxÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ºÉºIÉÉB +É® +ÊvÉEò ºÉ´ÉnxÉ¶ÉÒ±É +É® ±ÉÉMÉÉ Eò |ÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ½ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½*
3. ºÉ´ÉÉ+É EòÒ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ Eò Ê±ÉB ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉ +ÊvÉEò ºÉÉGòªÉ ¤ÉxÉ +É® +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¨ÉEòÉ +nÉ Eò®

¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò ¨Éb±É xÉ U½ ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ Eò®xÉ EòÉ ¡òºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ½

1. |ÉÉIÉÊ¨ÉEò º´ÉÉºIªÉ:]õEòÉEò®hÉ +É® ºÉºIÉÉMÉiÉ ¨ÉÉiÉ º´ÉÉºIªÉ nJÉ¦ÉÉ±É*
2. |ÉÉIÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ*

3. ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ´ÉÉ: +ÉÆMÉxÉ¤ÉÉcÒ Eòxp£ uÉ®É MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÉ½±ÉÉ+É, vÉÉjÉÒ ¨ÉÉiÉÉ+É, ¤ÉSSÉÉ +É® ÊEò¶ÉÉÊ®ªÉÉ EòÉ {É®Eò {ÉÉ¹ÉÉ½É®*
4. JÉÉt ºÉ®IÉÉ Eò Ê±ÉB ºÉÉ´ÉVÉÊxÉEò Ê´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ*
5. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ ªÉÉVÉxÉÉB*
6. ¨É½ÉiÉ¨ÉÉ MÉÉvÉÒ ®É¹]ÅÒªÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ®ÉVÉMÉÉ® MÉÉ®]Ò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ±ÉÉMÉ Eò®xÉÉ*

JÉÉt ºÉ®IÉÉ +É® {ÉÉ¹ÉhÉ EòÉªÉGò¨É ´ªÉÉ{ÉEò Eò{ÉÉ¹ÉhÉ Eò EòÉ®hÉ ¨É½i´É{ÉhÉ ½* ¦ÉJÉ +É® ¨É±ÉÉ®ªÉÉ ºÉ ¨ÉÉiÉ Eò ¤ÉÉSÉ ºÉ¤ÉvÉ ¨É EòUi xÉªÉÉ xÉ½Ò ½* +ÒÉVÉÉ Eò ºÉ¨ÉªÉ ¨É ¦ÉÉ®iÉ Eò {ÉVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¨É ±ÉÉMÉ¦ÉMÉ BEò ºÉnÒ {É½±É ¨É±ÉÉÊ®ªÉÉ EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉ ´É¹É Eò nÉ®ÉxÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉiÉ ½< lÉÒ +É® =xÉ ´É¹ÉÉ Eò nÉ®ÉxÉ +zÉ EòÒ Eò¨ÉÒ lÉÒ*

ºÉ¨ÉnÉªÉ Eò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® nJÉ®JÉ Eò Ê±ÉB ÊxÉvÉÉÊ®iÉ ÊxÉnÊ¶ÉEò <ºÉ |ÉEòÉ® ½:
1. ={ÉÊlÉiÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÉ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ +É® +ÊvÉEòÉ®*
2. +É{ÉÊiÉ EòÒ MÉhÉ´ÉkÉÉ +É® ºÉÉ´ÉvÉÉ+É EòÉ EòÉªÉÉx´ÉªÉxÉ*
3. EòÉªÉÉx´ÉªÉxÉ Eò ¤ÉÉ® ¨É VÉÉxÉEòÉ®Ò EòÒ º´ÉiÉ& PÉÉ¹ÉhÉÉ*
4. ±ÉÉMÉÉ EòÒ nJÉ®JÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉ EòÒ Î°lÉÉiÉ*

समुदाय आधारित देखरेख और प्रक्रिया

<ºÉ |ÉÉGòªÉÉ Eò |ÉÉ®Ê¦ÉEò SÉ®hÉ Eò nÉ®ÉxÉ, ªÉ½ ¨É½ºÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò nÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ Eò Ê±ÉB <xÉ ºÉ´ÉÉ+É EòÉ |ÉÉ{iÉ ½ÉxÉÉ ½Ò

समुदाय - आधारित निगरानी प्रक्रिया

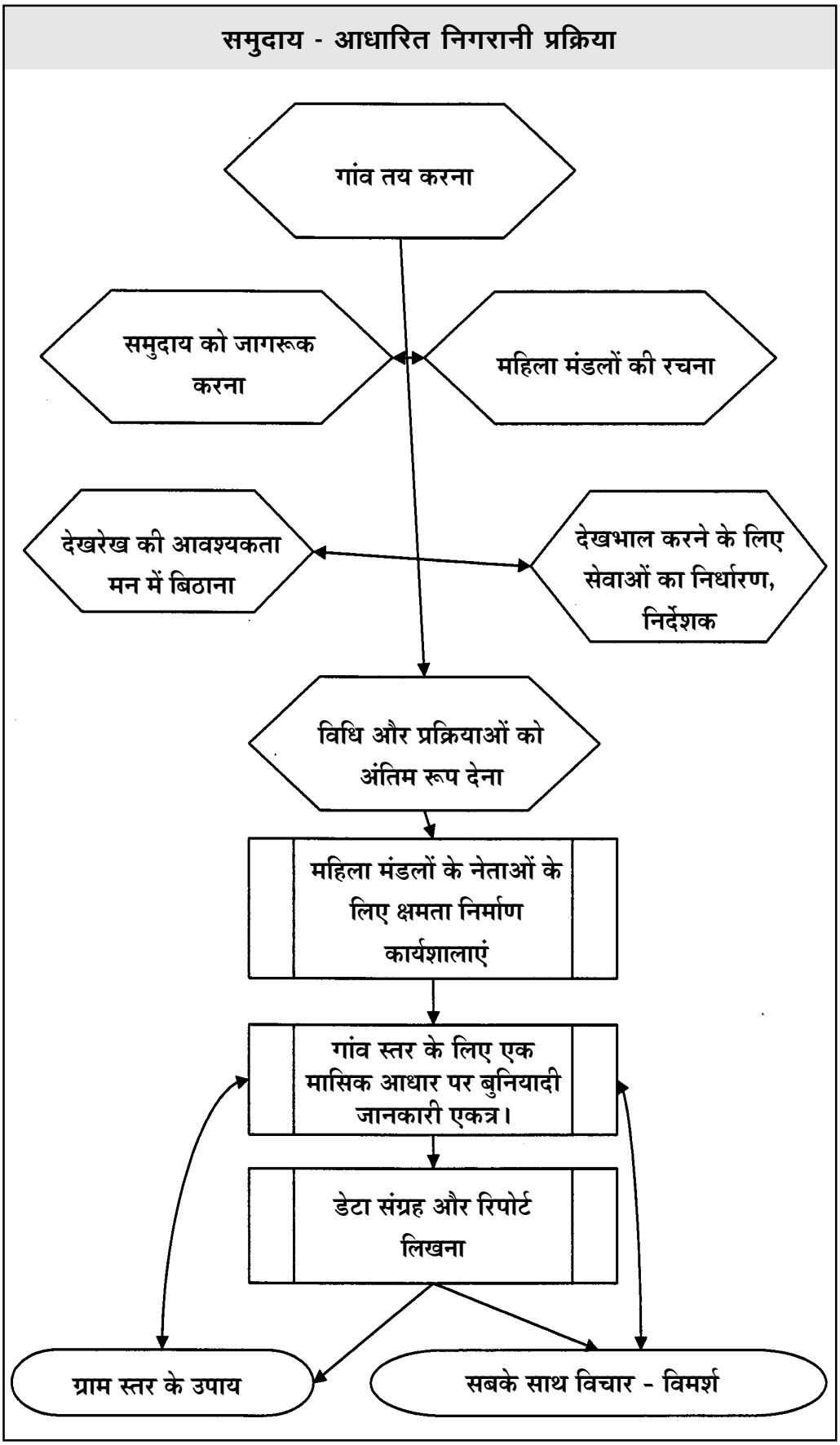

समुदाय आधारित देखभाल के लिए प्रतीक

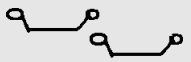

1. ºEò±ÉÉ ¨É ¨Évª£ÉÉ¼xÉ ¦ÉÉVÉxÉ ¨É ¦Én¦ÉÉ´É*

2. MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÒ iÉÒºÉ®Ò ¤ÉÉ®Ò EòÒ ÊSÉÉEòiºÉÉ VÉÉSÉ {É®Ò*

3. +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ºÉ½ªÉÉÊMÉxÉÒ ¤ÉSSÉÉ EòÉ PÉ® ºÉ ±É VÉÉiÉÒ ½ +É® UÉc VÉÉiÉÒ ½*

BEò ¤ÉcÉ ºÉ´ÉÉ±É ½ +É® <ºÉÊ±ÉB |ÉÉ®Ê¦ÉEò ´É¹ÉÉ {É½±É ÊxÉnÊ¶ÉEò {É® ½Ò vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉGòªÉÉ Eò nÉ®ÉxÉ BºÉ ÊxÉnÊ¶ÉEò iÉªÉ ÊEòB MÉB iÉÉÊEò EòÉ< ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ xÉ½Ò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEò:

1. =ºÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÒ lÉ¨ÉiÉÉ EòÉ ={ÉªÉÉMÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B +É® =ºÉ¨É ´ÉÉr ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B*
2. ºÉ¨ÉnÉªÉ +{ÉxÉ ºÉÒ¨ÉÉiÉÒEò®hÉ +É® +ºÉ½ÉªÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉZÉMÉÉ*
3. <ºÉ YÉÉxÉ Eò +ÉvÉÉ® {É® ºÉ¨ÉnÉªÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®MÉÉ*
4. MÉÉ´É ºiÉ® Eò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò +ÉvÉÉ® {É® ºÉMÉ`ixÉ EòÉ EòÉªÉ ±ÉIªÉÒ ºÉSÉÉ±ÉxÉ ½ÉMÉÉ +É® <ºÉ ±ÉÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ*

VÉÉxÉEòÉ®Ò <Eò_É Eò®xÉ +É® =ºÉ ºÉMÉÊ`iÉ Eò®xÉ EòÉ EòÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ Eò ºÉÉlÉ ¤Énà±ÉiÉÉ MÉªÉÉ* BºÉ iÉ®ÒEò +{ÉxÉÉB MÉB ÊEò ºÉ¨ÉnÉªÉ <ºÉEòÉ ={ÉªÉÉMÉ +{ÉxÉ +É{É Eò® ºÉEò, CªÉÉÊEò =ºÉ ±É¤É ºÉ¨ÉªÉ iÉEò <ºiÉ¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ*

+ÉªÉÉVÉEòÉ EòÒ =x¨ÉJÉÒEò®hÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÒ ¶ÉÖ+ÉiÉ ½<* =x½ÉxÉ ¤ÉÉn ¨É ¨ÉÊ½±ÉÉ+É ºÉ¨É½É EòÒ MÉÉ´É ¨É ¤É`Eò ¤É±ÉÉ< +É® =xÉEòÉ +É¦É¨ÉJÉÒEò®hÉ ÊEòªÉÉ +É® =ÊSÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®-Ê´ÉÊ¨É¶É Eò ¤ÉÉn ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ |ÉÊGòªÉÉ Eò Ê±ÉB Uè½ ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É EòÉ iÉªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½* ¨ÉÊ½±ÉÉ+É xÉ Ê´ÉºiÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉC¶É ¤ÉxÉÉB* =ºÉ¨É |ÉiªÉEò PÉ® Eò ¤ÉÉ® ¨É VÉÉxÉEòÉ®Ò +É® |ÉiªÉEò {ÉÉ®´ÉÉ® Eò ºÉ¦ÉÒ ºÉnºªÉÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ*

Ê¡ò® ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉC¶ÉÉ EòÉ SÉÉ]Ç {É{É® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉEò {ÉÊ®´ÉÉ® EòÉ Ê´É´É®hÉ, +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉnºªÉÉ EòÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ |ÉÊÎ{iÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉº´ÉÒ®-2 ¨É ÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½* <ºÉ +´ÉÊvÉ Eò nÉ®ÉxÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÉ{ÉnbÉ Eò ºÉn¦É ¨É nJÉ®JÉ EòÒ MÉ< +É® {É½±É ºÉ <ºÉ EòÉ¨É Eò Ê±ÉB ÊxÉvÉÉÊ®iÉ ºÉEòiÉEò Eò ºÉn¦É ¨É ªÉ½ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÒ EòUÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò Ê±ÉB EòUÉ EòÉªÉ¶ÉÉ±ÉÉB +ÉªÉÉÊVÉiÉ EòÒ MÉ< +É® ªÉ½ ¦ÉÒ ÊxÉvÉÉÊ®iÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ xÉC¶É {É® Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÉxÉEòÉ®Ò Eò Ê±ÉB ÊEòºÉ |ÉEòÉ® |ÉiÉÒEò ®JÉxÉÉ ½* ªÉ |ÉiÉÒEò {ÉÉ®{ÉÉ®Eò Eò±ÉÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ lÉ* ¶ÉÉnÒ +É® +xªÉ ¶É¦É PÉ]xÉÉ+É Eò nÉ®ÉxÉ nÒ´ÉÉ® {É® ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉ ´ÉÉ±É ÊSÉjÉ EòÉ <ºiÉ¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÉxÉªÉ °ü{É ºÉ ½É Eò Ê±ÉB ✓ ÊxÉ¶ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½ {É®iÉ ªÉ½É × ÊxÉ¶ÉÉxÉ EòÉ Uè½ MÉÉ´É ¨É {É®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉEò MÉÉ´É ¨É nÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ xÉiÉÉ+É EòÉ SÉªÉxÉÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +É® =xÉEòÉ nJÉ®JÉ EòÒ VÉ°ü®iÉ, =q¶ªÉÉ, ºÉEòiÉEò +É® |ÉÊGòªÉÉ Eò ¤ÉÉ® ¨É =x¨ÉJÉÒEò®hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÊxÉ®lÉ® ¨ÉÊ½±ÉÉ+É uÉ®É VÉÉxÉEòÉ®Ò <Eò_É Eò®xÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨É Eò< {ÉÉ®´ÉiÉxÉ ÊEòB MÉB* ºÉ¤ÉºÉ {É½±É |ÉiªÉEò ºÉ´ÉÉ Eò Ê±ÉB ={É - ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½ +É® ºÉSÉxÉÉ EòÉ Uè½ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉC¶ÉÉ ¨É ®JÉÉ MÉªÉÉ ½* ªÉ½ BEò =¤ÉÉ>ð ¤ÉÉiÉ lÉÒ, +É® ªÉ½ ¦ÉÒ ¨É½ºÉºÉ ÊEòªÉÉ ½ ÊEò ¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò {ÉÉºÉ ¤É½iÉ n® ®½xÉ ´ÉÉ±É {ÉÉ®´ÉÉ®É Eò ¤ÉÉ® ¨É VÉÉxÉEòÉ®Ò xÉ½Ò lÉÒ* CªÉÉÊEò =xÉEò ªÉ½É ºÉ PÉ® Eò< ÊEò±ÉÉ¨ÉÒ]® n® lÉ* +iÉ ¨É BEò xÉC¶É SÉÉ® ¦ÉÉMÉ ÊEòB MÉB +É® Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉlÉÉxÉÉ Eò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ ºÉ¨É½É EòÉ iÉªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +É® =x½ <xÉ ºÉlÉÉxÉÉ Eò Ê±ÉB ÊVÉ¨¨ÉnÉ® `½®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* =x½ ªÉ½ VÉÉxÉEòÉ®Ò |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÒ lÉÒ ÊEò ºÉ¦ÉÒ Uè½ ={É±É¤vÉ ºÉ´ÉÉB =x½ +É® =xÉEò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eò {ÉÉ®´ÉÉ®É EòÉ ÊEòiÉxÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ÉiÉÒ ½* ½É±ÉÉÊEò, <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ºÉ ºÉ¨ÉnÉªÉEò ¦ÉÉMÉÒnÉ®Ò EòÉ ÊxÉ¨ÉÉhÉ ¤ÉgxÉÉ Eò ¤ÉVÉÉªÉ Eò¨É ½<* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉEò ¨ÉÉ½ BEò xÉªÉÉ xÉC¶ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ {ÉcàiÉÉ lÉÉ* ¤É½iÉ ºÉ |ÉiÉÒEòÉ ¤ÉxÉÉxÉ ¨É ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ +É® =ºÉºÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +É® +xªÉ EòÉ¨É Eò Ê±ÉB ºÉ¨ÉªÉ xÉ½Ò ¤ÉSÉiÉÉ lÉÉ*

+iÉ ¨É, MÉÉ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉC¶É Eò ºÉÉlÉ SÉÉ]Ç EòÉ ±ÉÉ¨ÉxÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÊEò ¤ÉÉ® - ¤ÉÉ® =xÉEòÉ <ºiÉ¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEò* {É½±É ºÉ iÉªÉ iÉÉ®ÒJÉ EòÉ MÉÉ´É Eò ¨ÉÊ½±ÉÉ ºÉ¨É½ Eò ºÉnºªÉ <ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò

xÉC¶É Eò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¤É`ÉiÉ ½þ +É®ú <ºÉEòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò EòÉÒ ¤ÉÉEòÒ xÉ ®ú½þ VÉÉB* ºÉSÉxÉÉ =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ={É±É¤vÉ ½þÉ VÉÉiÉÒ lÉÒ CªÉÉåÊEò ¨ÉÉ½þ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ Eò |ÉiªÉEò ºÉnºªÉ xÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eò 50 ºÉ 100 PÉ®úÉå ºÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ BEòjÉ Eò®úxÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉnÉ®úÒ =`ÉÉ< lÉÒ* +ÉºÉÉxÉÒ ºÉ ºÉ¨ÉZÉxÉ Eò Ê±ÉB VÉÉxÉEòÉ®úÒ {É´É ÊxÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉiÉÒEòÉå uÉ®úÉ ®úJÉÒ MÉ< lÉÒ* VÉÉxÉEòÉ®úÒ <Eò_ÉÉ Eò®úxÉ EòÒ <ºÉ |ÉÉGòªÉÉ ºÉ ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨É +ÉºÉÉxÉÒ ºÉ SÉSÉÉB ¦ÉÒ ½þÉå VÉÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, <ºÉ ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú - Ê´ÉÊ¨ÉÊ¶É ½þÉiÉÉ lÉÉ ÊEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ CªÉÉ xÉ½þÓ Ê¨ÉÊ±ÉÒ +É®ú ¦ÉÉ´ÉÉ¹ªÉ ¨É EòÉèÉ®ú´ÉÉ< Eò Ê±ÉªÉ Ê´ÉÊ¶É±ÉÉ¹ÉhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¤É`ÉEò |ÉiªÉEò ¨ÉÉ½þ Eò {É½þ±ÉÒ +É®ú 20 iÉÉ®úÒJÉ EòÉ +ÉªÉÉÉVÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* +ÉªÉÉVÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ BEòjÉ +É®ú Ê´É¶±ÉÉ¹ÉhÉ Eò®úxÉ ¨É ¨Énni Eò®úiÉ lÉ ÊVÉxÉEòÉ ¤ÉÉxÉÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É Eò ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉvÉ lÉÉ* "=xÉÊiÉ" uÉ®úÉ ÊVÉ±ÉÉ ´ÉÉ®ú ºÉSÉxÉÉ BEòjÉ Eò®ú´ÉÉ< MÉ< +É®ú Ê®ú{ÉÉ]õ <ºÉ iÉ®ú½þ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉ< ÊEò ´É½þ ½þ®ú ¨É½þÒxÉ EòÒ 30 iÉÉ®úÒJÉ EòÉ VÉÉ®úÒ EòÒ VÉÉB iÉÉÊEò +MÉ±É ¨É½þÒxÉ EòÉ¨É EòÉ xÉªÉÉ SÉGò ¶ÉÖ°ü ½þÉ VÉÉB*

समुदाय - आधारित देखरेख में प्राप्त सूचना

MÉÉ´É ºiÉ®ú {É®ú ºÉÊSÉjÉ ºÉ®úSÉxÉÉ+É EòÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊVÉxÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú nJÉ®úJÉ Eò Ê´ÉÊ¦ÉZÉ {É½þ±ÉÉ+É {É®ú nJÉ®úJÉ ®úJÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* VÉÉ ºÉSÉxÉÉ BEòjÉ ½þ< =ºÉ ¨ÉÉ½þ±ÉÉ-{É¯û¹É oÎ¹]õEòÉhÉ ºÉ ¦ÉÒ ºÉÉZÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

1. MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+É EòÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ: MÉ¦ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉ ½þÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉ xÉÉ¨É iÉ®úiÉ Ê±ÉJÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*

ªÉ½þ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò B.BxÉ.B¨É Eò {ÉÉºÉ {ÉVÉÒEò®úhÉ, vÉxÉ¹É¤ÉÉªÉ Eò nÉ]õÒEò, +É®ú iÉÒxÉ ¨ÉÊbEò±É VÉÉSÉ ½þÉiÉÒ ½þ ªÉÉ xÉ½þÓ* MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò VÉx¨É EòÒ ºÉ¦ÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ®úÒJÉ EòÉ xÉÉ]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +É®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò |ÉºÉÊiÉ PÉ®ú ¨É ½þÉMÉÒ ªÉÉ +º{ÉiÉÉ±É ¨É* ªÉ½þ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò BEò ¨ÉÉ½þxÉ iÉEò ¨ÉÉ +É®ú ¤ÉSSÉ EòÒ Î°lÉÊiÉ ¤É½þiÉ®ú ®ú½þiÉÒ ½þ ªÉÉ xÉ½þÓ* ªÉ½þ nJÉ¦ÉÉ±É ®úJÉxÉ ÊEò ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* |ÉiªÉEò ¨ÉÉ{ÉEònb Eò Ê±ÉB ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¨Éb±É Eò ºÉnºªÉ EòÒ ¦ÉÉ¨ÉEòÉ ¨É½þi´É{ÉhÉ ®ú½þiÉÒ ½þ +É®ú ´É MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ +É®ú =ºÉEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eò Ê±ÉB |ÉÉ®úiÉ Eò®úiÉ lÉ*

2. ªÉ½þ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò +ÉMÉxÉ¤ÉÉc÷Ò ºÉ xÉÉ ¨ÉÉ½þ iÉEò

तालिका 1: नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में प्राप्त जानकारी								
घर संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	जॉब कार्ड है?	मांग की? रसीद ली?	मांगने के 15 दिनों के भीतर काम मिला?	मांग के बिना काम मिला?	15 दिन की मजदूरी मिली?	इस महीने में कितने दिनों का काम मिला?	महीने के अंत तक कितने दिन पूरे हुए?

MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÉ½±ÉÉ EòÉ {É®Eò {ÉÉ¹ÉhÉ +É½É®É Ê¨É±É*

3. ªÉ½ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò vÉÉjÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ MÉ¦ÉÉ´ÉºlÉÉ Eò ¤ÉÉn U½ ¨É½ÒxÉ iÉEò +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ EòÒ +É® ºÉ {É®Eò {ÉÉÎ¹]iÉEò ¦ÉÉVÉxÉ Ê¨É±É*

4. ªÉ½ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò BEò ´É¹É ºÉ Eò¨É +ÉªÉ ´ÉMÉ Eò ¤ÉSSÉÉ EòÉ {ÉÉSÉ ¤ÉÉ® ´ÉCºÉÒxÉ ÊnªÉÉ VÉÉB* {É½±É ºÉ ½Ò Ê±ÉJÉ ÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉ EòÉ BEò ´É¹É Eò¤É {É®É ½ÉMÉÉ* <ºÉ +´ÉÊvÉ Eò nÉ®ÉxÉ]ÒEò n nxÉ Eò |ÉªÉÉºÉ ÊEòB VÉÉiÉ lÉ* ªÉÉn ÊEòºÉÒ Eò®hÉ ºÉ EòÉ< ¤ÉSSÉÉ ¤ÉÉEòÒ ®½ VÉÉB, iÉÉ ¤Éc ¤ÉSSÉ EòÉ xÉÉ¨É nºÉ® ®ÊVÉº]® ¨É Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉÊEò +ÊvÉEò JÉ®ÉEò nÒ VÉÉ ºÉEò*

5. 13 ºÉ 24 ¨É½ÒxÉ Eò ¤ÉSSÉÉ Eò Ê±ÉB ´ÉCºÉÒxÉ EòÒ +ÊvÉEò JÉ®ÉEò ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉhÉªÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ¨É {É½±É ºÉ ½Ò Ê±ÉJÉ ÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉ EòÉ 24 ¨É½ÒxÉ Eò¤É {É® ½ÉMÉ*

6. ¤ÉSSÉ EòÉ +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ºÉ VÉÉcÉ VÉÉB* ºÉÉiÉ ¨É½ÒxÉ ºÉ {ÉÉSÉ ºÉÉ±É Eò +ÉªÉ ´ÉMÉ Eò ºÉ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉ Eò Ê±ÉB +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ¨É ºÉ {É®Eò {ÉÉ¹ÉhÉ +É½É® Ên±ÉÉxÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉ½ nJÉxÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉ EòÉ xÉÉ¨É Ê±ÉJÉÉ ½É iÉÉ =ºÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉ {É®Eò {ÉÉ¹ÉhÉ +É½É® Ê¨É±ÉiÉÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó* MÉ¨É ¦ÉÉVÉxÉ {É®ÉºÉxÉÉ SÉÉ½ÊB* ½¨É ÊVÉxÉ MÉÉ´ÉÉ ¨É vªÉÉxÉ ®JÉiÉ lÉ ´É½É +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ EòÉªÉEòiÉÉ +É¨ÉiÉÉ® {É® ½® MÉ¯û´ÉÉ® EòÉ {É®Eò {ÉÉ¹ÉhÉ +É½É® niÉ lÉ* ªÉ½ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉÉ Eò¤É iÉEò +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ Eò ºÉÉlÉ ®½MÉÉ* <ºÉEò ¤ÉÉn =ºÉEòÉ xÉÉ¨É nºÉ® ®ÊVÉº]® ¨É Ê±ÉJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +É® ºÉEò±É ºÉ VÉÉcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*

7. ºÉEò±É Eò ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉ EòÉ ºÉ¤ÉÆvÉ: ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® xÉ 6 ºÉ 14 ºÉÉ±É Eò +ÉªÉ ´ÉMÉ Eò ºÉ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉ Eò Ê±ÉB |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÒ MÉÉ®]Ò nÒ ½* <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉÉ xÉ ºÉEò±É ¨É nÉÊJÉ±ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó +É® ´É½ EòlÉÉ ¨É +vªÉªÉxÉ Eò® ®½É ½ ªÉÉ xÉ½Ó* <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ºÉEò±É ÊEòiÉxÉ ¤ÉSSÉ Eò¦ÉÒ ºÉEò±É MÉB ªÉÉ xÉ½Ó +É® ÊEòiÉxÉ ¤ÉSSÉ ÊEòiÉxÉÉ {ÉgEò® ¤ÉÒSÉ ¨É ½Ò ¶ÉÉ±ÉÉ UÉc nÒ* +MÉ® ´É +xÉ{Ég ½ iÉÉ ´É +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ¨É {ÉVÉÒEòiÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó, =x½ {É®Eò {ÉÉ¹ÉEò +É½É® Ê¨É±ÉiÉÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó, CªÉÉ ´É Ê´É´ÉÉÊ½iÉ ½, +ÉÊn ¤ÉÉiÉÉ EòÉ nVÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉEò VÉÉxÉEòÉ®Ò Eò +ÉvÉÉ® {É® ªÉ½ iÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉÉ Eòn¨É =`ÉxÉ iÉÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½*

8. ÊEò¶ÉÉÊ®ªÉÉ EòÒ Î°lÉÊiÉ: 11 ºÉ 18 ´É¹É EòÒ ±ÉcÊEòªÉÉ ÊEò¶ÉÉ®Ò ½ÉiÉÒ ½* =x½ =xÉEòÒ =©É Eò ºÉÉlÉ {ÉVÉÒEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½* ´É ºEò±É VÉÉ ®½Ò ½ ªÉÉ xÉ½Ó, ªÉÉn ºEò±É VÉÉxÉÉ Uic ÊnªÉÉ Eò½É iÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½, CªÉÉ ´É +xÉ{Ég ½, ´É +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ¨É {ÉVÉÒEòiÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó, =x½ {É®Eò {ÉÉ¹ÉEò +É½É® Ê¨É±ÉiÉÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó, +É® CªÉÉ CªÉÉ ´É Ê´É´ÉÉÊ½iÉ ½, +ÉÊn ¤ÉÉiÉÉ EòÉ nVÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉEò VÉÉxÉEòÉ®Ò Eò +ÉvÉÉ® {É® ªÉ½ iÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½ ÊEò Eòn¨É =`ÉªÉÉ VÉÉB*

9. Ê´ÉvÉ´ÉÉ, ¤ÉVÉMÉ, Ê´ÉEò±ÉÉMÉ: {É¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ ´ÉÉ±ÉÉ EòÉ {ÉVÉÒEò®hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó* ½® ¨É½ÒxÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½ ªÉÉ xÉ½Ó* {É¶ÉxÉ Ê¨É±ÉxÉ ¨É ½ÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ vÉÉJÉÉvÉcÒ ¦ÉÒ nVÉ EòÒ MÉ<lÉÒ*

10. {É¶ÉxÉ Eò Ê±ÉB {ÉÉjÉ ±ÉÉÊEòxÉ {É¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½Ó Eò®xÉ ´ÉÉ±É ¤ÉVÉMÉ, Ê´ÉEò±ÉÉMÉ +É® Ê´ÉvÉ´ÉÉB: =x½ {É¶ÉxÉ Ên±ÉÉxÉ Eò Ê±ÉB |ÉªÉÉºÉ ÊEòB MÉB +É® =x½ ÊVÉºÉ iÉÉ®ÒJÉ ºÉ {É¶ÉxÉ Ê¨É±ÉxÉÉ ¶É°ü ½+É =ºÉ xÉÉ]Þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ÊVÉxÉEòÉ {É¶ÉxÉ Ê¨É±ÉxÉ ±ÉMÉÒ =xÉEòÉ xÉÉ¨É ®ÊVÉº]® 9 ¨É +±ÉMÉ ºÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, ªÉ½ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÊEò =x½ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉ {É¶ÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½ ªÉÉ xÉ½Ó*

11. ªÉ½ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ºÉÉ´ÉVÉÊxÉEò Ê´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ±ÉÉ¦É, ¤ÉÒ{ÉÒB±É, +iªÉÉnªÉ +É® +zÉ{ÉhÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ Eò iÉ½iÉ ½® ¨É½ÒxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó*

12. xÉ®MÉÉ Eò ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEò: ºÉ¤ÉºÉ {É½±É ªÉ½ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÊEò {ÉÉ®´ÉÉ® EòÉ {ÉVÉÒEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ ªÉÉ xÉ½Ó* Ê¡ò® ½® ¨É½ÒxÉ EòÉ¨É ¨ÉÉMÉÉ MÉªÉÉ 15 ÊnxÉÉ Eò Ê±ÉB EòÉ¨É Ê¨É±ÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó <ºÉEòÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÊEò Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉÉMÉ EòÉ¨É Ê¨É±ÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó* EòÉ¨É Eò®xÉ ´ÉÉ±É EòÉ 15 ÊnxÉ ¨É ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó* ¨ÉÉ½xÉ ¨É ÊEòiÉxÉ ÊnxÉ EòÉ Ê¨É±ÉÉ ´É SÉÉ±É ¨ÉÉ½ ¨É ÊEòiÉxÉ ÊnxÉÉ EòÉ EòÉ¨É {ÉÉªÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉEòÉ ¦ÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò Eò±É 100 ÊnxÉ EòÉ EòÉ¨É Ê¨É±ÉÉ ªÉÉ xÉ½Ó* ªÉÉn Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ½É +É® =ºÉEòÉ ½±É xÉ½Ó ½+É ½É iÉÉ =ºÉ ¦ÉÒ xÉÉ]Þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*

समुदाय - आधारित देखरेख के परिणाम

<ºÉ nJÉ®JÉ Eò <ºÉ +¦ªÉÉºÉ Eò |ÉÉ®Ê¦ÉEò SÉ®hÉ Eò nÉ®ÉxÉ, ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÉ ±ÉÉMÉ +É¨É iÉÉ® {É® =±ÉZÉxÉ ¨É lÉ* ±ÉÉÊEòxÉ +¤É =x½ <ºÉEòÒ

VÉºü®iÉ EòÉ B½ºÉǺÉ ½ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉ½ +¤É =x½ ºÉ¨ÉZÉ ¨ÉÉ +ÉªÉÉ ÊEò +SUÒ ºÉSÉxÉÉ ºÉ´ÉÉ+É Eò +É{ÉÌiÉEòiÉÉ+É {É® ÊEòºÉ iÉ®½ ºÉ n¤ÉÉ´É ±ÉÉiÉÒ ½* +¤É iÉEò, ºÉ¨ÉnÉªÉÉ EòÉ =xÉEò +ÊvÉEòÉ®É ºÉ ´ÉÉSÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +É® =xÉEò +ÊvÉEòÉ®É EòÉ º´ÉÒEòÉ® xÉ½Ô ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ ºÉ BEò |ÉEòÉ® EòÒ ºÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉVÉÒ iÉªÉÉ® ½<, +É® ´É ºÉ´ÉÉ+É Eò +É{ÉÌiÉEòiÉÉ+É iÉEò {É½SÉ MÉªÉ ½ +É® ºÉÉ®EòÉ®Ò Ê´É¦ÉÉMÉÉ iÉEò {É½SÉ MÉªÉ ½* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¨É iÉÉ ¨ÉÉ½±ÉÉB Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ iÉEò xÉ½Ô MÉ< lÉÒ +É® Eò¦ÉÒ OÉÉ¨É ºÉ¦ÉÉ ¨É ¦ÉÉMÉ xÉ½Ô Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* Ê{ÉUÉ±É ºÉÉ±É, 89 ¨ÉÉ½±ÉÉ xÉiÉÉ+É xÉ OÉÉ¨É ºÉ¦ÉÉ ¨É ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ÊVÉºÉ xÉ®MÉÉ Eò iÉ½iÉ EòÉªÉÉ EòÒ ªÉÉVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉ Eò Ê±ÉB ¤É±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =x½ÉxÉ ´É¹ÉÉ VÉ±É Eò ¦ÉbÉ®hÉ Eò Ê±ÉB 986]ÉEòÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉhÉ Eò®xÉ EòÒ ¨ÉÉMÉ EòÒ lÉÒ* ªÉ½ =xÉEò Ê±ÉB {É½±ÉÉ +xÉ¦É´É lÉÉ* ºÉ®EòÉ® +É® nÊ±ÉiÉ xÉÉMÉÉ®EòÉ Eò ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ EòÉ +´ÉºÉ® {ÉnÉ ½+É* <ºÉ nÊ±ÉiÉÉ Eò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉÉ´É¶É |ÉÊGòªÉÉ ¨É +xªÉ Ê½iÉvÉÉ®Eò ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½B* nÊ±ÉiÉÉ EòÉ xªÉÉªÉ Ên±ÉÉxÉ Eò ½¨ÉÉ® {É½±É Eò |ÉªÉÉºÉÉ EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ½Ô Ê¨É±ÉÒ lÉÒ*

ºÉ¨ÉnÉªÉ +ÊvÉÉÊ®iÉ nJÉ®JÉ Eò ¨É½i´É{ÉhÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É <ºÉ |ÉEòÉ® ½:

1. {ÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ Eò bfi ºÉÉ±É EòÒ +´ÉÊvÉ Eò nÉ®ÉxÉ EòÉªÉ Eò®xÉ Eò ¤ÉÉn BºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½ ÊEò ¤ÉÉxÉÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É {É® ºÉ¨ÉnÉªÉ +ÊvÉÉÊ®iÉ nJÉ®JÉ +¤É ±ÉÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò Ê]ÉEòÉMÉÒ*
2. nÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉhÉ´ÉkÉÉ ¨É ºÉvÉÉ® Eò Ê±ÉB Eò Ê±ÉB ¨É½i´É{ÉhÉ ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½É +É® =ºÉ ´É½ º´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ EòÒ EòÉÊ¶É¶É Eò® <ºÉ EòÉ¨É {É® vªÉÉxÉ EòÊpiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ´ÉÉ EòÒ ºÉ´ÉÉÊÉ½iÉÉ ªÉÉ MÉhÉ´ÉkÉÉ {É® +ÊvÉEò VÉÉ® xÉ½Ô ÊnªÉÉ VÉÉ ®½É ½, <ºÉ {É® ¦ÉÒ vªÉÉxÉ xÉ½Ô ÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÊEò ´É ºÉiÉÉ¹]i ½ ªÉÉ xÉ½Ô* <ºÉEòÉ EòÉ®hÉ ªÉ½ ½ ÊEò {É½±ÉÉ ºÉ´ÉÉ±É ªÉ½ ½ ÊEò =x½ ºÉ´ÉÉB ={É±É¤vÉ ½É, +É® ºÉ´ÉÉ+É Eò <ºÉ nªÉÉ® ¨É ´É ¶ÉÉÉ¨É±É ½É* ¡òÒ±ÉÉnÒ ¨É 850, ¤ÉÉ±ÉÉiÉÉ®É ¨É 865 +É® ÊºÉvÉ®Ò ¨É 741 Ê¨É±ÉÉEòÉ® Eò±É 2486 nÊ±ÉiÉ {ÉÊ®´ÉÉ®É (50 MÉÉ´ÉÉ) EòÒ ¤ÉÊxÉªÉÉnÒ ºÉ´ÉÉ+É {É® vªÉÉxÉ EòÊpiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉnÉªÉ +{ÉxÉ +ÊvÉEòÉ®É Eò ¤ÉÉ® ¨É VÉÉxÉiÉÉ ½* EòÉxÉ {ÉÉjÉ ½ +É® EòÉxÉºÉÒ ºÉ´ÉÉB ÊEòºÉ Ê¨É±ÉxÉÒ SÉÉÊ½B <ºÉEò ¤ÉÉ® ¨É VÉÉxÉiÉ ½* ÊEòºÉEòÉ EòÉxÉºÉÒ CªÉÉ ºÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉÒ, +É® ªÉ½ ¡òºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ÊEò =ºÉ ={É±É¤vÉ Eò®ÉxÉ Eò Ê±ÉB EòÉxÉºÉ Eòn¨É

=`ÉxÉ SÉÉÊ½B* =nÉ½®hÉ Eò Ê±ÉB +MÉºiÉ-2012 EòÒ ºÉSÉxÉÉ Eò +xÉºÉÉ® 478 ±ÉcEòÉ (48.6 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ), 406 ±ÉcÊEòªÉÉ (50.1 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) 346 ÊEò¶ÉÉÉ®ªÉÉ (40.5 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ), 111 MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É (52.4 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) +É® 91 vÉÉjÉÒ ¨ÉÉiÉÉ+É (59.1 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÊMÉxÉ´ÉÉcÒ ºÉ xÉ½Ô VÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 1 ´É¹É ºÉ EòÊ¨É Eò 71 ±ÉcEòÉ (32.9 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) +É® 59 ±ÉcÊEòªÉÉ (33.5 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) EòÉ]ÒEòÉEò®hÉ EòÉ ±ÉÉ¦É xÉ½Ô Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* 13 ºÉ 24 ¨ÉÉ½xÉ Eò ¤ÉSSÉÉ ¨É 43 ±ÉcEòÉ (20.3 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) +É® 30 ±ÉcÊEòªÉÉ (18.9 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) Eò#É ¦ÉÒ]ÒEòÉEò®hÉ EòÉ ±ÉÉ¦É xÉ½Ô Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* 67 MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É (31.6 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ) EòÉ<]ÒEòÉ xÉ½Ô ÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 18 {ÉÉjÉ ´ªÉÊHòªÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ+É EòÉ ±ÉÉ¦É xÉ½Ô lÉÉ* 17.5 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+É, 33.3 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉrÉ +É® 2.9 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉrÉ+É, 33.3 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ +xÉIÉ ¤ÉSSÉ (VÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ{ÉÉ½É® ªÉÉVÉxÉÉ Eò iÉ½iÉ {ÉÉjÉ ½) +É® 14.3 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê´ÉEòÉ±ÉÉMÉÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ+É ºÉ ±ÉÉ¦É xÉ½Ô Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =kÉ®nÉÊªÉi´É Eò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉvÉxÉ +¦ÉÒ iÉEò BºÉÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò BEòjÉ xÉ½Ô EòÒ VÉÉ ºÉEòÒ* ªÉ½ VÉÉxÉEòÉ®Ò ºÉ¨ÉnÉªÉ EòÉ EòÒUi Eò®xÉ Eò Ê±ÉB |ÉÉ®iÉ Eò®iÉÉ ½* 50 MÉÉ´ÉÉ ¨É ¨ÉÉ½±ÉÉ ¨Éb±É |ÉªÉÉºÉ Eò® ®½ ½ ÊEò +¤É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò Ê±ÉB {ÉÉjÉ ±ÉÉMÉÉ EòÉ 100 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ±ÉÉ¦É Ê¨É±É*

3. +xÉ¦É´É ªÉ½ ®½É ½ ÊEò ºÉ´ÉÉ+É Eò +É{ÉÌiÉEòiÉÉ ÊVÉxÉ {ÉÊ®´ÉÉ®É EòÉ ºÉ´ÉÉB xÉ½Ô Ê¨É±ÉiÉÒ =xÉEòÉ É½ºÉÉ¤É ½Ò xÉ½Ô ®JÉiÉ iÉÉÊEò ºÉ´ÉÉ+É EòÉ ={É±É¤vÉ Eò®ÉxÉ Eò n¤ÉÉ´É ºÉ ¤ÉSÉ ºÉEò* ºÉ¨ÉnÉªÉ

Eò ºÉnºaÉ ºÉ´ÉÉ+É Eò +É{ÉÎ¡ÉEòiÉÉ+É aÉÉ ºÉMÉ`xÉ EòÉ ´ÉÉ½ ºÉSÉÒ |ÉnÉxÉ Eò®iÉ ½ ÊVÉxÉ¨É =xÉ ±ÉÉMÉÉ Eò xÉÉ¨É ½ÉiÉ ½ VÉÉ {ÉÉjÉ ½ ±ÉÊEÉEòxÉ ÊVÉx½ ºÉ´ÉÉB xÉ½Ò Ê¨É±ÉiÉÒ* <ºÉEò {ÉÊ®hÉÉ¨É º´ÉºüÉ{É ºÉ´ÉÉB |ÉnÉxÉ Eò®xÉ Eò Ê±ÉB n¤ÉÉ´É ¤ÉgÉ ½ +É® ÊVÉx½ ºÉ´ÉÉB xÉ½Ò Ê¨É±É ®½Ò lÉÒ =x½ Ê¨É±ÉxÉ ±ÉMÉÒ ½*

4. ¨É< - VÉxÉ, 2012 Eò nÉ®ÉxÉ, nÊ±ÉiÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É xÉ ºlÉÉxÉÒªÉ EòÉªÉEòiÉÉ+É Eò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® SÉÉ® ºÉÉ¨ÉnÉÊªÉEò º´ÉÉºlªÉ EòpÉ, 12 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò º´ÉÉºlªÉ EòxpÉ, 29 ={É EòxpÉ, 39 =ÊSÉiÉ ¨É±ªÉ EòÒ nEòÉxÉÉ, 168 ºÉ´ÉÉ EòxpÉ EòÉ ºÉ´É ºÉ´ÉÉ+É +É® ºÉÉ´ÉvÉÉ+É EòÉ ºÉ¨ÉZÉxÉ Eò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ lÉÉ* =x½ÉxÉ ºÉ´ÉÉ+É EòÒ MÉhÉ´ÉkÉÉ +É® =ºÉºÉ ºÉ¤ÉÉvÉiÉ ºÉ´ÉÉ±ÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉZÉxÉ EòÒ EòÊÉ¶É¶É EòÒ lÉÒ*

5. ¡ò±ÉÉnÒ iÉÉ±ÉEòÉ Eò ¦ÉÉ¨ÉxÉMÉ® ¨ÉÉÊ®ªÉÉ MÉÉ´É Eò |ÉÉlÉÉ¨ÉEò Ê´É tÉ±ªÉ ¨É VÉÉÊiÉ - +ÉvÉÉÊ®iÉ ¦Én¦ÉÉ´É Eò ¨ÉÉ¨É±ÉÉ ¨É ºÉ¨ÉnÉªÉ xÉ Eòn¨É =`ÉB lÉ* ºEò±É Eò |É¶ÉÉºÉxÉ xÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ¨É ¨ÉÉ¡òÒ ¨ÉÉMÉÒ +É® ºÉ¦ÉÒ ¤ÉSSÉÉ Eò Ê±ÉB xÉB ¤ÉiÉxÉ ±ÉÉªÉ MÉB*

6. SÉÉ® UÉ]Ò +ÉMÉxÉ´ÉÉÊcªÉÉ EòÉ ¨ÉVÉ®Ò nÒ MÉ< B´É 25 xÉB ±ÉÉMÉÉ EòÉ {É¶ÉxÉ ¶É°ü EòÒ MÉ<* ÊVÉxÉ {ÉÉSÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÉ <Ên®É +É´ÉÉºÉ aÉÉVÉxÉÉ EòÒ +ÊiÉ¨É ÊEòºiÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½Ò ½< lÉÒ ´É½ =x½ Ê¨É±ÉÒ* Eò {ÉÉSÉ =ºÉ {ÉÉªÉÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É* <ºÉEò +±ÉÉ´ÉÉ, +MÉ® ±ÉÉMÉÉ EòÉ aÉ½ ¤ÉÉiÉ ºÉ¨ÉZÉ {ÉcxÉ ±ÉMÉÒ ÊEò =xÉEòÒ +É´ÉÉVÉ {É® vaÉÉxÉ ÊnªÉÉ VÉÉBMÉÉ*

7. ¨ÉÊ½±ÉÉ º´ÉÉºlªÉ EòÉªÉEòiÉÉ+É xÉ aÉ½ vaÉÉxÉ ®JÉÉ ÊEò ¤ÉSSÉÉ EòÉ]ÒEòÉEò®hÉ ½É* ºÉ¦ÉÒ MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É, xÉ< ¨ÉÉiÉÉ+É, Ê¶É¶É+É +É® ¤ÉSSÉÉ EòÒ º´ÉÉºlªÉ VÉÉSÉ, +º{ÉiÉÉ±ÉÉ ¨É |ÉºÉÊiÉ, {ÉÉ¹ÉhÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉxÉ +É®]ÒEòÉEò®hÉ EòÉ vaÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* +º{ÉiÉÉ±ÉÉ ¨É |ÉºÉÊiÉ Eò®ÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÉ VÉxÉxÉÒ º®lÉÉ aÉÉVÉxÉÉ ±ÉÉ¦É ÊÉn±ÉÉxÉ {É® vaÉÉxÉ ÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

8. OÉÉ¨ÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ EòÉªÉEòiÉÉ+É +É® ¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò ºÉÉ¨ÉÊ½Eò |ÉªÉÉºÉÉ Eò EòÉ®hÉ VÉÉvÉ{É® ÊVÉ±É Eò ¡ò±ÉÉnÒ iÉÉ±ÉEòÉ Eò ºÉÉiÉ MÉÉ´ÉÉ ¨É {É½±ÉÒ ¤ÉÉ® ¨ÉÊ½±ÉÉ+É +É® ¤ÉSSÉÉ EòÉ]ÒEò ±ÉMÉÉB MÉB* ¡ò±ÉÉnÒ ¨É VÉÉ±ÉÉ®É,®É¨ÉºÉÉMÉ®, É{É±É´ÉÉ, ¦ÉÉ{ÉVÉÒ EòÒ fÉhÉÒ, ¨ÉÉÉ®ªÉÉ, ¦ÉÒ±ÉÉ EòÒ fÉhÉÒ EòÉ±É {ÉÉ¤ÉVÉÒ MÉÉ´ÉÉ ¨É ={É Eòxp nÊ±ÉiÉ MÉÉ´ÉÉ ºÉ iÉÒxÉ ÊEò±ÉÉ¨ÉÒ]® EòÒ n®Ò {É® ½* <ºÉEò EòÉ®hÉ ¤ÉSSÉÉ +É® MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÉ]ÒEòÉEò®hÉ ºÉÉ½ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉÉ+É xÉ½Ò Ê¨É±ÉiÉÒ lÉÒ* <xÉ MÉÉ´ÉÉ ¨É ¦ÉÒ +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ Eòpi

xÉ½Ò lÉ* ={É EòxpÉ ¨É VÉÉ B.BxÉ.B¨É. nÉ< lÉÒ ´É +|É±É -2012]ÒEòÉEò®hÉ Eò Ê±ÉB ºÉ¨ÉnÉªÉ Eò lÉjÉ ¨É +ÉiÉÒ ½* ¨ÉÊ½±ÉÉ ¨Éb±É Eò ºÉnºaÉÉ xÉ ¦ÉÒ PÉ®-PÉ® VÉÉEò® VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ¡ò±ÉÉ<* ¦ÉÉ¨ÉxÉMÉ® ¨ÉÉÊ®ªÉÉ MÉÉ´É nÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉnÉªÉ Eò aÉ½É nÉ< xÉ½Ò +ÉiÉÒ lÉÒ* ¨ÉÉ +É® ¤ÉSSÉ Eò º´ÉÉºlªÉ +É® {ÉÉ¹ÉhÉ ÊnxÉ ¦ÉÒ +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ¨É xÉ½Ò ¨ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =SSÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ Eò®xÉ EòÒ vÉ¨ÉEòÒ nxÉ Eò n¤ÉÉ´É ºÉ nÉ< xÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉÉB |ÉnÉxÉ Eò®xÉ ¶É°ü Eò® ÊnªÉÉ* `ì±ÉÉhÉÉ ¨ÉPÉ´ÉÉ±ÉÉ EòÒ ¤ÉºiÉÒ ¨É ¦ÉÒ +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ xÉ½Ò lÉÒ* ¦ÉÒ±É ±ÉÉMÉÉ Eò Ê±ÉB +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ BEò ÊEò±ÉÉ¨ÉÒ]® n® lÉÒ* OÉÉ¨ÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ EòÉªÉEòiÉÉ+É xÉ B.BxÉ.B¨É. Eò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ÊVÉºÉEò ¤ÉÉn ºÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É +É® ¤ÉSSÉÉ EòÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊnxÉ {É® +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ ¨É ±ÉÉxÉ EòÉ Eò½É* ¨ÉÊ½±ÉÉ ¨Éb±É Eò ºÉnºaÉÉ xÉ <ºÉ ºÉn¶É EòÉ PÉ®-PÉ® {É½SÉÉªÉÉ*

9. ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® Eò º´ÉÉºlªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉ MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É Eò Ê±ÉB |ÉÉ{iÉ ½ÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉÉ+É Eò ¤ÉÉ® ¨É +ÉxÉ±ÉÉ<xÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ EòÒ VÉÉ ®½Ò ½* B.BxÉ.B¨É. Eò {ÉÉºÉ MÉ¦É´ÉiÉÒ ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÉ {ÉVÉÒEò®hÉ ½ÉiÉ ½Ò +ÉMÉxÉ´ÉÉcÒ aÉÉ +É¶ÉÉ EòÉªÉEòiÉÉ =x½ iÉ®iÉ ¨É¨ÉiÉÉ EòÉb nÉiÉ ½ +É® =ºÉ¨É =ºÉEò º´ÉÉºlªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +É® =ºÉ |ÉnÉxÉ EòÒ MÉ< ºÉ´ÉÉ+É EòÉ Ê´É´É®hÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ ½*

aÉ½ VÉÉxÉEòÉ®Ò +ÉxÉ±ÉÉ<xÉ ®JÉÒ VÉÉiÉÒ ½, +É® |ÉiªÉEò ={É Eòxp EòÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò ºÉ¤ÉEòÉ nJÉxÉ EòÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½* aÉ½ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½ ÊEò B.BxÉ.B¨É. xÉ ÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉ +É® ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÉ]ÒEòÉEò®hÉ Eò iÉ½iÉ Eò´É® xÉ½Ò ÊEòªÉÉ =xÉEòÉ Ê´É´É®hÉ xÉ½Ò ®JÉÉ VÉÉiÉÉ* CªÉÉÊEò <ºÉºÉ =ºÉ PÉ®-PÉ® VÉÉxÉÉ {ÉciÉÉ ½ VÉÉ ´ÉÉ Eò®xÉÉ xÉ½Ò SÉÉ½iÉÒ* Ê®´ÉÉVÉ Eò +xÉºÉÉ® iÉÉ ¨ÉÊ½±ÉÉ EòÒ {É½±ÉÒ |ÉºÉÊiÉ {ÉÒ½® ¨É ½Ò ½ÉiÉÒ ½* VÉ¤É ´É½ SÉÉ®-{ÉÉSÉ ¨ÉÉ½ EòÒ MÉ¦É´ÉiÉÒ ½ÉiÉÒ ½ iÉÉ ´É½ {ÉÒ½® SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½ +É® |ÉºÉÊiÉ Eò nÉ-iÉÒxÉ ¨É½ÒxÉ ¤ÉÉn ºÉºÉÉ®É±É ¨É ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉiÉÒ ½* ¨É¨ÉiÉÉ EòÉb +É® +ÉxÉ±ÉÉ<xÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ <ºÉ iÉlªÉ EòÉ vaÉÉxÉ ¨É ±ÉiÉÒ ½ {É®iÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ aÉ½ ½ ÊEò BºÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ EòÉ xÉÉ]Ò xÉ½Ò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ* OÉÉ¨ÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ EòÉªÉEòiÉÉ <ºÉ iÉ®½ ®½ MÉB ¤ÉSSÉÉ +É® ¨ÉÊ½±ÉÉ+É EòÒ ºÉSÉÒ ºÉ®EòÉ® EòÉ nxÉÉ SÉÉ½iÉ ½ iÉÉÊEò ºÉ®EòÉ®Ò Ê®EòÉb ¨É ´É ¶ÉÉÊ¨É±É ½É =x½ ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®xÉ Eò Ê±ÉB EòÉ®´ÉÉ< ½É*

MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉ

विकलांगता के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए समावेशी प्रक्रिया के बारे परामर्श बैठक

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विकलांगता को मुख्यधारा में लाने के लिए समावेशी प्रक्रिया के बारे विविध हितधारकों की परामर्श बैठक गुजरात में साबरकांठा के हिम्मतनगर में 27-7-2012 को आयोजित की गयी थी। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में संकल्प और विकलांग अधिकार बिल -2011 के बारे में जागरूकता बढ़ाना था और गुजरात के साबरकांठा, मेहसाणा और पाटन जिले में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों जो समावेशी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में विचार-विनिमय करना था।

इससे पहले गुजरात के विकलांगता मध्यस्थता करने वाले समूह और पुनर्वास संस्थानों कुछ प्रतिनिधियों ने नवंबर-2011 के दौरान विकलांगता, समावेश और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प प्रक्रिया की खोज करने और उसका दस्तावेज़ीकरण करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद विकलांगता मध्यस्थता करने वाले समूह के सदस्यों ने जिला स्तर पर जो समावेशी प्रक्रिया चल रही है उसे ढूंढ निकाला था और उनका प्रलेखन किया था। इस परामर्श बैठक में इस प्रलेखन पर चर्चा की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में साबरकांठा के अरोड़ा की जे.जी पटेल हाई स्कूल, मेहसाना के खेरालू की दाभोड़ा की अनुपम प्राथमिक स्कूल और पाटन की गुरुकुल की

विद्याविहार स्कूल के बारे में दस्तावेजीकरण किया गया था। रोजगार के क्षेत्र में साबरकांठा के तलेद की यू.जी.वी.एल., अहमदाबाद के अंधजन मंडल और प्रलेखन के गांव स्तर पर नरेगा को शामिल करने की प्रक्रिया का भी दस्तावेजीकरण किया गया।

गुजरात सरकार के विकलांगता कमिश्नर श्री संजय नंदन द्वारा परामर्श बैठक में प्रमुख भाषण दिया गया था और साबरकांठा जिला विकास अधिकारी श्री रवि अरोड़ा द्वारा विशेष उद्‌बोधन किया गया था। उन्नति की कार्यक्रम समन्वयक दीपा सोनपाल द्वारा विकलांगता के बारे में बदलते नजरिए के बारे में व्यापक समझ प्रदान की गई। अहमदाबाद के मानव अधिकार कानून नेटवर्क के वकील, सुश्री शैलजा पिल्लई द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे के बारे में प्रस्तुति की गई थी। उन्होंने यह प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के संदर्भ में की थी। राष्ट्रीय अंधजन मंडल के उपाध्यक्ष श्री भास्कर मेहता ने शिक्षा के बारे में विशेष सत्र का अध्यक्ष पद संभाला। उन्नति के निदेशक श्री बिनोय आचार्य ने रोजगार के बारे में विशेष सत्र का अध्यक्ष पद संभाला और समापन व्याख्यान भी दिया। विकलांग व्यक्तियों पुनर्वास संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने इस परामर्श बैठक में भाग लिया था। परामर्श बैठक में वक्ताओं और प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझाव और सिफारिशः

1. समावेश के लिए पहला कदम जागरूकता है। विभिन्न प्रकार विकलांगता वाले बच्चों की जरूरतें विभिन्न प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए, जो बालक अस्थि विकलांग है उसे स्कूल जाने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, जो बच्चा अंधा है या कम दिखाई देता है उसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड के पास बैठने की जरूरत है और स्कूल में अलग-अलग सुविधाओं की पहचान के लिए अलग-अलग रंग की निशानों की जरूरत है।
2. विकलांगता अधिनियम-1995 की धारा-44 और धारा-45 में भौतिक बाधाओं को दूर करके भेदभावविहीन वातावरण

बनाने का प्रावधान है। लेकिन साबरकांठा जिले के अधिकांश सरकारी कार्यालय अवरोध मुक्त नहीं हैं। इसलिए, उन्हें पहुंचक्षम बनाने के प्रयास करने चाहिए।

3. सभी विकलांग लोगों को एक विशेष पहचान कार्ड दिया जाता है, अपनी खुद की एक वह जीवन भर उसके पास रहता है और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुनियादी सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्ड की मान्यता भारत भर में होनी चाहिए।
4. उपरोक्त कानून की धारा-33 के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन निकायों के सभी पदों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिए। इस आरक्षण को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना चाहिए और आंगनवाड़ी में भी आरक्षण देना शुरू करना चाहिए।
5. विकलांगता आयुक्त के पद विकलांग व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र नियुक्तियों में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के नियम बनाए हैं। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह प्रमाण पत्र देने के लिए कोई विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं होता। इसलिए, इस नियम में सुधार किया जाना चाहिए।
7. सभी विकलांग व्यक्तियों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।
8. राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्र में विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं के समाधानों को शामिल करने के प्रयास करने चाहिए।
9. जिला और तालुका स्तर पर परामर्श बैठकें आयोजित करके गुजरात में विकलांग लोगों की स्थिति के बारे में एक नागरिक की रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए।

'विचार' को विशेष जूरी आइस पुरस्कार २०१२

'उन्नति' द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'विचार' को 2012 का इनहाउस कम्युनिकेशन एक्सलेन्स (आइस) का विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार एफ.ई.आई. कार्गो लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है।

अंधजनों के लिए सामग्री तैयार के लिए दीपेंद्र मिनोचा को पुरस्कार

राष्ट्रीय विकलांगता रोजगार संवर्धन केंद्र (एन.सी.पी.ई.डी.पी.) द्वारा एक्सेसिबिलिटी एन्ड बेरियरब्रेक टैक्नोलोजी को सहयोग दिया गया था। एन.सी.पी.ई.डी.पी.-एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन पुरस्कार दीपेंद्र मिनोचा और पाँच एक अन्य लोगों को दिया गया है वे डाइसी कन्सोर्टियम के लिए काम करते हैं। उन्होंने अंधजनों के लिए चार प्रकार की सामग्री तैयार की हैः श्रव्य, ब्रेल, बड़े फोंट और ई-पाठ। विविध सामग्री को इन चार रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इस सामग्री का इस्तेमाल अंधजन अपनी पढ़ाई या अन्य प्रयोजनों के लिए कर सकें।

पृष्ठ 31 का शेष

लोगों के लिए समान अधिकार और अवसर पाने के लिए यह प्रकाशन मदद करता है। आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, जिला विकलांगता अधिनियम समिति की बैठक, व्यवसाय या नौकरी की योजना, घर के लिए भूखंड देने की योजना, आय का विवरण आदि बातों के बारे में सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे किया जा सकता है उस बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली मुसीबतों को प्रस्तुत करने के बारे में भी मार्गदर्शन शामिल है. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह आवेदन करना चाहिए उसका नमूना भी इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तिका की ऑडियो प्रति और ब्रेल प्रतिलिपि भी प्राप्त हो सकती है। इस पुस्तिका का लेखन, संकलन और संपादन कार्य सूचना अधिकार गुजरात पहल ने किया गया है।

प्रकाशकः (1) डॉ. एम.एम. प्रभाकर, चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद। (2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात राज्य (3) हैन्डिकेप इंटरनेशनल।

प्राप्ति स्थानः हैन्डिकेप इंटरनेशनल, 15, अजन्ता पार्क, सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने, मेमनगर, अहमदाबाद-380052. फोनः 079-65425646. ई-मेलः apatel@hi-india.org

ºÉn¦ÉÇ ºÉÉ¨ÉOÉÒ

एक्सपिरियन्स ऑफ डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेन्टर

अहमदाबाद के डेवलपमैंट सपोर्ट सेन्टर (डी.एस.सी.) के द्वारा यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है जिसमें स्थानीय काम को समृद्ध करके और नीतियों को प्रभावित करके ग्रामीण जीवन निर्वाह में बढ़ोतरी करने के संगठन के प्रयासों का वर्णन है। इस संगठन और आगा खान फाउंडेशन ने मिलकर संयुक्त रूप से अगस्त त 2011 में संगठन के ही कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय लेखन कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें संगठन द्वारा मध्यस्थता किए सात ऐसे मामलों को तय किया गया था जिनसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार आया था, और जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति पर प्रभाव पड़ा था।

ये सात मामले ऐसे हैं जो लोगों की भागीदारी और समुदाय आधारित और समुदाय के स्वामित्व वाले संगठनों को प्रोत्साहन देने वाले हैं। निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर लोगों के केंद्र में रहने से होने वाले लाभों को इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। प्रयोग, प्रोत्साहन नीति निर्माण के लिए मध्यस्थता करने का विचार इसके पीछे रहा है। इन मामलों में, हितधारकों का क्षमता निर्माण कैसे हुआ और सरकारी नीति में सुधार में निभाई गई भूमिका का वर्णन किया गया है। इस मामले से यह भी संकेत मिलता है कि नागरिक समाज के संगठनों जैसे बाहरी संगठनों को कार्यक्रम बनाने के संबंध में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हितधारकों का क्षमता निर्माण हो, वे एक साथ मिल कर सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर संशोधन करते रहेंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कार्यक्रम के अमल के पहलू की चर्चा की गई है, जबकि कई अन्य में संगठन द्वारा मध्यस्थता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक जलग्रहण विकास, पीने के पानी की व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल, पुनर्वास और संचालन रुचि रखने वालों के लिए लाभकारी है। प्राप्ति स्थानः डेवलपमैंट सपोर्ट सेन्टर, मारुति नंदन विला, सरकारी ट्यूबवेल के पास, बोपल, अहमदाबाद -380058। फोनः 02717-235994, 235995, 235998. ई-मेलः dsc@dscindia.org

माइक्रोफाइनांस इंडिया

एक्सेस द्वारा पिछले छह वर्षों से लघु ऋण क्षेत्र के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उस शृंखला की यह 2011 की अंग्रेजी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सामाजिक कार्यक्रम प्रबंधन (एस.पी.एम.) पर ध्यान केंद्रित करती है। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि सामाजिक कार्य के मिश्रित निर्देशकों के संदर्भ में अधिक ऋण का क्षेत्र कैसे काम करता है। इसमें 11 निर्देशकों का वर्णन हैः (1) उद्देश्य और सामाजिक लक्ष्य, (2) शासन, (3) विविध सेवाएं और उनका विस्तार, (4) ऋण लेने वालों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी है, (5) सेवाओं की लागत के बारे में पारदर्शिता, (6) मानव संसाधन और कर्मचारियों को प्रोत्साहन, (7) पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, (8) गरीबों तक पहुँचे, (9) ऋण लेने वालों की संख्या, (10) ऋण लेने वाले उद्यम और रोजगार के अवसरों का सृजन (11) ऋण लेने वाले कब तक टिके रहते हैं।

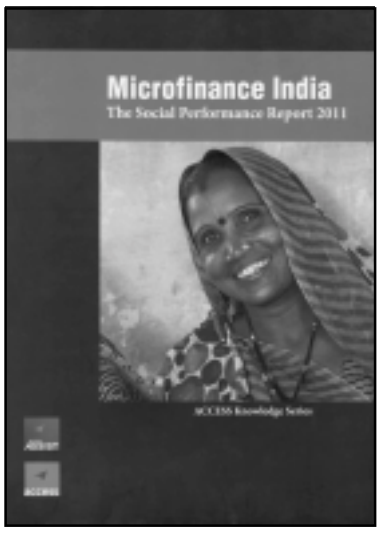

लघु ऋण देने वाले संस्थानों के लिए सामाजिक कार्यक्रम

का प्रबंधन अपेक्षाकृत नया विषय है। उनमें इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लघु ऋण देने वाली संस्थाएं केवल गरीबों की ही ऋण देती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वे गरीबों के अलावा अन्य लोगों को भी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। वे यह भी कहते हैं कि गरीबी में कमी और गरीबों के लिए ऋण लघु ऋण देने वाली संस्थाओं के विकासलक्ष्यी लक्ष्यांक होते हैं, तो भी इन उद्देश्यों को पाने के लिए बहुत कम लघु ऋण देने वाली संस्थाएं इसके लिए साधनों और तरीकों का विकास करती हैं।

रिजर्व बैंक ने नियम बनाकर यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तक को ही लघु ऋण कहा जाएगा, तब इस रिपोर्ट में कहा गया कि लघु ऋण देने वाले संस्थानों को इस नियम का पालन करने के लिए भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। अंत में यह कहा गया है कि भारत में लघु ऋण की सफलता ऋण के अनुशासन पर निर्भर करती है। यह अनुशासन साथियों के दबाव और संगठन के कर्मचारियों के ऋण अनुशासन पर आधारित है। लघु ऋण में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को यह रिपोर्ट पढ़ना चाहिए।

प्राप्ति स्थानः एक्सेस डेवलेपमैन्ट सर्विसेज, 28, होज खास विलेज, नई दिल्ली -110016.

डिजास्टर मैनेजमैन्ट इंडिया

इस अंग्रेजी पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को निम्नलिखित अध्यायों को बांटा गया हैः (1) भारत में आपदाएं, (2) संगठनात्मक ढांचा, (3) नीति और दिशा निर्देश, (4) प्रतिरोध और रोकथाम (5) तैयारी और प्रतिभाव (6) बहाली, पुनर्निर्माण और पुनर्वास। (7) क्षमता विकास (8) वित्तीय व्यवस्था (9) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (10) आगामी मार्ग।

अंत में, इस पुस्तक में महत्वपूर्ण शब्दों का सार और संदर्भ भी दिया गया है। इस बारे में भारत सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं और उसमें राज्य सरकारें किस तरह सहयोग प्रदान करती हैं, उनका विवरण

भी इस पुस्तक में दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपात कार्यकारिणी समिति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा संस्थान, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, राज्य आपदा प्रतिभाव दल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, राष्ट्रीय आपात प्रबंधन समिति, राज्य आपात आपदा प्रतिक्रिया कोष, घटना प्रतिभाव प्रबंधन, आदि के बारे में सारी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है।

भोपाल गैस त्रासदी (1984), कच्छ के भूकंप (2001), सुनामी (2004), कोशी बाढ़ (2008), लेह में बादल फटने की घटना (2010), आदि जैसी प्रमुख आपदाओं के संदर्भ में आपदा का सामना करने की तैयारी और रोकथाम विवरण भी इस पुस्तक में दिया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों, सरकारी कर्मचारियों, पंचायतों और आम नागरिकों के लिए भी यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है।

प्राप्ति स्थानः गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

बोले किशोरी

वाचा ट्रस्ट द्वारा तीन पोस्टर और तीन वीडियो निबंध और एक फोटो निबंध की डीवीडी तैयार की गई है। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में तीन पोस्टर तैयार किए गए हैं। इन तीन पोस्टरों में हिंदी भाषा में लिखे नारे इस प्रकार हैंः (1) खेलने दो पढ़ने दो, लड़कियों को आगे बढ़ने दो। (2) घर का काम नहीं होता पूरा, पढ़ने का ख्वाब रहे अधूरा। (3) यह भेदभाव क्यों?

लड़कियां स्वयं अपने सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भागीदार बनें व शामिल हों इसके लिए वाचा खुद के युवा कार्यकर्ताओं की एक

टुकड़ी ने बोले किशोरी परियोजना के तहत कई बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। ये पोस्टर और वीडियो और फोटो निबंध इस परियोजना का परिणाम है, और किशोरियों के साथ संवाद का प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है।

प्राप्ति स्थानः वाचा रिसोर्स सेन्टर फॉर विमन एन्ड गर्ल्स, म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, टैंक लेन, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई 400054 फोन 091-22-26055523, ई-मेलः vachamail@gmail.com

वोटर

गुजरात के कच्छ जिले के रापड़ तालुका में पीने के पानी और सिंचाई और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 'आर्घियम' और 'समर्थ' द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि पानी के सुरक्षित और सलामत स्रोत तैयार हों। पानी की सुरक्षा के लिए इस परियोजना के अंतर्गत रापड़ तालुका में अलग-अलग छह स्थानों पर विभिन्न तरीकों से मध्यस्थता की गई। यह दर्शाता है कि लोगों की भागीदारी से होने वाले प्रयासों के बेहतर परिणाम मिलते हैं।

इस पुस्तक में, पीने के पानी, बांधों, जल समितियों, लघु स्तरीय परियोजनाओं, और नरेगा के तहत कार्यों और मजबूरी में होने वाले स्थानांतरण को रोकने की व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस काम में, शुरुआत में विचार-विमर्श और फिर लोगों और पंचायतों सक्षम बनाने का कार्य हाथ में लिया गया। लोगों की ग्राम स्तरीय समितियां बनाई गई और सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन द्वारा लघु स्तरीय योजना भी बनाई गई। योजना के बाद

लागू किया गया था और लोगों द्वारा देखरेख की प्रक्रिया की गई। एक उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय समितियां सक्रिय बनी और सारा काम लोगों और पंचायतों को सौंप दिया गया था। पानी के क्षेत्र में हुए इस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, महिलाओं, बच्चों और कोली जैसे उपेक्षित समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जिसके परिणाम के रूप में गरीबों की आय में हुई वृद्धि को इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में 9 गांवों में जनता की भागीदारी से 25 चेक बांध कैसे बने और इसके परिणामस्वरूप 26,883 लोगों और 11,491 मवेशियों को किस तरह लाभ हुआ उसका भी वर्णन किया गया है। चेक बांधों की पानी भंडारण क्षमता 51.37 लाख लीटर है। पानी समितियां गांव में और पानी भंडारण होने तक ग्रामीणों को स्वच्छता रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस पुस्तक में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। इस पुस्तक में स्थानीय लोगों के उद्धरणों को अनुभवों और प्रतिभावों के रूप में लिया गया है। पानी भंडारण और रखरखाव तथा सतत उपयोग में काम कर रहे लोगों, संस्थाओं और संगठनों के लिए यह पुस्तिका उपयोगी साबित होगी।

प्राप्ति स्थानः समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, क्यू -402, भाग-2, श्रीनंदनगर, वेजलपुर, अहमदाबाद -380051. टेलिफैक्स 079-26829004. ई-मेलः samerthtrust1992@gmail.com, वेबसाइटः samerth.org

आपणो हक, आपणा हाथमां

इस पुस्तिका में यह बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति अपने

अधिकारों का उपभोग करने के लिए कैसे सूचना अधिकार के अधिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत सूचना कहां से प्राप्त की जा सकती है तथा सूचना प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया क्या है पर जानकारी सरल रूप में दी गई है। विकलांग

शेष पृष्ठ 28 पर

पिछले चार महीनों के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीः

1. सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

पश्चिम राजस्थान में दलितों को न्याय दिलाने के लिए यूएनडीपी के समर्थन से दो साल से चल रही वित्त पोषित परियोजना फरवरी-2012 में समाप्त हो गई। इस समय इस मुद्दे बिंदु पर कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में 'उन्नति' के सभी हस्तक्षेपों का लक्ष्य समूह दलित ही हैं। इस तरह उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करना जारी रखा है। जोधपुर शहर में कुत्तों का बाड़ा नामक कच्ची बस्ती में सगीरा पर बलात्कार हुआ था और एफ.आइ.आर. दर्ज करने में उसकी मदद की थी और पुलिस जांच के सभी चरणों पर सलाह दी गई थी। समझौता करने के लिए मजबूर किया जाए तो उसका सामना करने के लिए पूरे दलित समुदाय को एकत्र करने और अंत में, अदालत में कानूनी सहायता दिलाने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दलित नेताओं की जिला स्तरीय समिति के अलावा पोखरण में प्रत्येक माह नियमित बैठकें होती हैं, और अत्याचार के मामले में तथ्य अन्वेषण करने और पीड़ितों को प्रारंभिक समर्थन प्रदान करना जारी रखा है।

विकलांगता का मुख्यधारा में समावेश

दिनांक 30-4-2012 को सहभागी संगठनों की सातवीं और अंतिम समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। सभी चार सहभागी संगठनों के विशेष शिक्षकों, दो न्यासियों, विशेषज्ञ सहायकों, अंधजन मंडल के परियोजना प्रबंधक और 'उन्नति' के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। पिछले तीन वर्षों का अनुभव यह दर्शाता है कि अंधजन मंडल द्वारा भेजे विशेषज्ञ सहायकों ने विकलांगता वाले 180 बच्चों का दस्तावोजीकरण करने में विशेष शिक्षकों की मदद की। फ़ाइलों को बनाए रखने, इनटेक रजिस्टर, शिक्षण के बारे में व्यक्तिगत योजना आकलन, कार्यक्रम तैयार करना और उसका उपयोग करना, माता-पिता का साथ प्राप्त करना, कक्षा काम के लिए रोचक गतिविधियां तैयार करना, व्यावसायिक गतिविधियों, उम्र के अनुकूल गतिविधियों आदि में यह काम किया गया। क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। खासकर साथ विकलांग किशोर-किशोरियों की यौन समस्याओं, दैनिक जीवन की गतिविधियों, शिक्षण-प्रशिक्षण की सामग्री आदि के बारे में उसमें चर्चाएं हुई और गुजरात के विभिन्न संगठनों की शैक्षिक यात्राएं भी की गई। माता-पिता के लिए भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्हें छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, विकलांगता प्रमाणपत्र जैसी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। 25 बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड मिले और 95 प्रतिशत बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र और पहचान कार्ड मिले थे।

सार्वभौमिक डिजाइन के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी -2012 में आयोजित किया गया था। इसके बाद पहुँच समूह ने व्यवहार विज्ञान केंद्र (बी.एस.सी.) और जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स का पहुँच अन्वेषण करके शुरूआत की गई थी। उनके भवनों के उपयोग में सुधार के बारे में सुझाव दिए गए थे। वैश्विक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतों और शैक्षिक संस्थानों में पहुँच क्षमता के बारे में दो पुस्तिकाओं को सहभागी संगठनों के सहयोग से तैयार किया गया है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सहभागी प्रणालियों को प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ गुजरात विकलांगता मध्यस्थता टीम के सदस्यों ने अपने जिले में समावेशी प्रणालियों के

प्रलेखन के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ऐसे 17 प्रयासों का प्रलेखन किया गया था। अप्रैल - 2012 में हिम्मतनगर और वडोदरा में विभिन्न हितधारकों के लिए आयोजित परामर्श बैठक में अपने दस्तावेज़ीकरण पेश किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों भी उपस्थित थे।

विशेष परियोजनाः गुजरात के अनुसूचित क्षेत्रों में सेटकॉम द्वारा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा

गुजरात के अनुसूचित क्षेत्रों की स्कूलों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के दूसरे चरण शुरूआत अगस्त-2011 से हो गई है। पांच अलग - अलग स्कूलों में कार्यक्रम की समीक्षा के लिए पाँच विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इसमें 140 लोगों ने भाग लिया था। शिक्षकों ने कहा कि कार्यक्रम को काफी छात्र देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में छात्रों की रुचि बढ़ती जा रही है। स्कूलों को सहयोग देने के लिए सेटकॉम फैलो की पहले ही नियुक्ति कर दी गई थी जिन्होंने तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उससे दर्शकों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। आश्रमशाला के अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों ने भी इन कार्यशालाओं में भाग लिया और कार्यक्रम सुधारने और विशेष रूप से निगरानी पहलुओं के बारे में सुझाव दिए थे। सेटकॉम फैलो और टीम की देखरेख से तैयार निष्कर्ष के आधार पर रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है। अप्रैल में, सात दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र विद्वानों और सलाहकारों द्वारा - कक्षा 9 के पैकेज के खंड संख्या 17-30 पर विचार विमर्श किया गया गया है, उसका पाठ तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया गया। यह पाठ के आधार पर पैकेज की रिकॉर्डिंग भी की गई है। इस अवधि के दौरान जिन खंडों और कार्यपत्रकों को अंतिम रूप दे दिया था उनकी रिकॉर्डिंग भी एंकरिंग के साथ की गई। इस रिकॉर्डिंग के लिए चित्र तैयार किए गए की और इसके आधार पर वे सेट भी तैयार किए गए। इन खंडों का संपादन कार्य टीम द्वारा किया जा रहा है। खंड 1-16 कक्षाएं को अंतिम रूप दे दिया गया है। खंड 17 से 30 के लिए चित्रों और लेआउट का काम पूरा हो चुका है और कक्षा -9 के लिए अभ्यास पुस्तिका - 2 तैयार हो गई है।

2. नागरिक नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन

गुजरात में सामाजिक उत्तरदायित्व के साधन विकसित करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संदर्भ में उनकी परीक्षा करना जारी है। जुलाई -2012 से सभी नमूना रूप गांवों में सेवाओं और परियोजनाओं का समुदाय आधारित मूल्यांकन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए सामाजिक नक्शों और प्रश्नावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान 156 व्यक्तियों को आजीविका के निर्माण में मदद करने के लिए मानव कल्याण योजना का लाभ लेने में मदद की थी। तीन विधवाओं को पेंशन योजना में मदद की गई थी। विधवा पेंशन योजना के लिए 13 फार्म भराए गए और 18 विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद की गई और पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए 134 व्यक्तियों की पहचान की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व के तरीकों को मजबूत बनाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसके लिए निगरानी, प्रलेखन, और स्थानीय स्तर पर प्रयासों का आदान-प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में, विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की गई। गुजरात पारिस्थितिकी आयोग को भी उसके क्षेत्र में सामाजिक अन्वेषण की विधियों और साधनों के विकास के लिए और उनके गांवों का पता लगाने सामाजिक अन्वेषण समितियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है। 'लोक वाचा' बुलेटिन के छठे और सातवें संस्करण का प्रकाशन किया गया है। उसमें 13 वें वित्त आयोग और पैसा और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

गुजरात में नरेगा के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सामाजिक अन्वेषण के लिए और शिकायत निवारण परियोजना का समर्थन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अक्टूबर-2011 से मार्च -2012 के दौरान हुए कामों के लिए 20-4-2012 से 20-5-2012 तक सामाजिक अन्वेषण अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला संसाधन समूह के कुल 1580 सदस्यों में से 1210 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया कि ग्राम सभा प्रभावी ढंग से सामाजिक अन्वेषण कार्य करे। सरकारी सूचना के अनुसार 14255 ग्राम पंचायतों में से 12523 ग्राम पंचायतों को इस अभियान के दौरान कवर किया गया था। हमने 306 ग्राम सभाओं का अवलोकन किया था। उसमें 301 मुद्दों को उठाया था। ग्राम सभाओं को सामाजिक अन्वेषण को दर्शाने के लिए और संबंधित हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए एक जिले में एक ग्राम पंचायत के आधार पर 21 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था। दिनांक 30-7-2012 तक कुल 1037 शिकायतें हेल्पलाइन के माध्यम से पंजीकृत हुई थी। तारीख 30-6-2012 तक कुल 2004 शिकायतें पंजीकृत हुई थी, और उनमें से 1456 को निपटा दिया गया था।

राजस्थान के जोधपुर शहर के पाँच स्लम क्षेत्रों और पांच ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जवाबदेही के साधनों के उपयोग को सामूहिक रूप से सिखाने के लिए एक बुनियादी सर्वेक्षण शुरू किया गया था। गठित समूहों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों की निगरानी शुरू कर दी है। यह व्यवस्था कि गई कि 57 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ मिले।

3. आपदा जोखिम में कमी के सामाजिक निर्धारक

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'उन्नति' को राज्य के तालूकों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। गुजरात में खेड़ा, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और असम में बारपेटा और नागांव की आपदा प्रबंधन की योजना की समीक्षा आयोजित की थी जिससे इन परियोजनाओं के लिए प्रभावकारिता दृष्टिकोण को मापा जा सके। वडोदरा, सूरत और जामनगर जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने उसके अमल के मुख्य पहलुओं को निर्धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस बारे में 30-4-2012 को राज्य स्तर की एक परामर्श सभा आयोजित की गयी थी। जी.एस.डी.एम.ए., जी.आइ.डी.एम., यू.एन.डी.पी., एन.डी.एम.ए. के प्रतिनिधियों और जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और आइ.एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसका उद्घाटन जी.एस.डी.एम.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आई.ए.एस. डा. रंजीत बनर्जी ने किया था। जी.एस.डी.एम.ए. के अपर सीईओ आई.ए.एस. श्री तिरुप्पुगाज, स्फिय इंडिया के अध्यक्ष श्री एन.एम. प्रुस्ती अन्य महानुभावों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां की थी। इस परामर्श सभा के निष्कर्षों को टी.डी.एम.पी. के ढांचे और को टेम्पलेट में डाला गया था। टेम्पलेट का पहला मसौदा उनकी राय के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में आपदा के समय जोखिम घटाने के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य इंदिरा आवास योजना में आपदा जोखिम को कम करने के लिए रणनीति बनाना था। जामनगर जिले के जोडिया तालूका के लिए इस तरह का अध्ययन किया गया

है। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी कवर किया गया था।

राजस्थान में हम 75 गांवों में आपदा के खतरे को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दलितों और आदिवासियों की अकाल से लड़ने के लिए प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए बाड़मेर जिले के बालोतरा और सिन्धरी तालूका के और जोधपुर जिले के 50 गांवों को कवर किया गया है। तीन साल की परियोजना का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो गया है। महिलाओं और लड़कियों ने परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में काम किया और पुरुषों ने प्रमुख हितधारकों के रूप में अकाल से लड़ने के लिए प्रतिकारक क्षमता पैदा की है। इसके लिए बालोतरा और सिन्धरी के दलित समुदाय के 26 पुरुष नेताओं ने 13-15 जून, 2012 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्त्री - पुरुष समानता विषय को भी कवर किया गया। प्रतिभागी अपने घरों और समुदाय के लिए व्यवहार में बदलाव लाने पर सहमत हुए। घर के कामकाज का विभाजन करना और महिलाओं के नाम भूमि करना तनाव के प्रमुख मुद्दे बने रहे। बुनियादी सेवाओं पर समुदाय-आधारित देखभाल रखने के लिए दलितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फलौदी में 850, बालोतरा में 865 और सिंधरी में 741 कुल 2456 दलित परिवारों की इस संबंध में नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। वर्तमान में पात्र महिलाओं, लड़कियों, बच्चों, और परिवारों के लिए एक सूची बनाई जा रही है और उन्हें सेवाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, मई - जून, 2012 के दौरान चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 29 उप केन्द्रों, 39 उचित मूल्य की दुकानों, 32 आंगनवाड़ियों और 56 प्राथमिक स्कूलों पर स्थानीय सहायकों के साथ मिलकर देखरेख रखी गई थी। उन्होंने सेवाओं की गुणवत्ता और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में देखरेख रखने की कोशिश की थी।

स्वास्थ्य केंद्रों के काफी दूर होने के कारण, महिलाओं को घर से बाहर सीमित समय के लिए ही जाने के कारण और सामाजिक कारणों से, लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को ढूंढकर है उनके संपूर्ण टीकाकरण के प्रयास करती हैं। सभी गर्भवती महिलाओं, नई माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सेवाओं, संस्थागत प्रसूति, पोषण को समर्थन और टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल प्रयास किए गए। एक वर्ष तक की आयु के 67.3 प्रतिशत बच्चों के टीकाकरण के सफल प्रयास किए गए थे। 1 से 2 वर्ष तक की आयु के 69.1 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया था। 69.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को दाई के पास पंजीकृत किया गया और वे प्रसूति पूर्व सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। 45.1 प्रतिशत प्रसूति संस्थागत हुई और उन महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला। फलौदी तालूका में सात गांवों में पहले कभी टीकाकरण नहीं किया गया था वहां पहली बार बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण हुआ था।

13 गांवों के 59 परिवारों के लिए चारा उगाने के लिए सहायता दी जा रही है, इसके लिए उनकी भूमि का विकास किया गया है। सभी किसानों को पानी और कीटनाशक दिलाने के लिए प्रयास किया गया है। बेर के पेड़ की निराई के लिए किसानों को मौके पर प्रशिक्षित किया गया है। नरेगा के तहत वर्षा जल भंडारण के लिए 30 टैंक बनाये गए। 120 बिल्कुल गरीब परिवारों को वर्षा जल संग्रह के लिए सहायता दी गी है। इस परियोजना में शुरू से ही ध्यान रखा गया था कि पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल हो। दलित महिला नेताओं ने

अपने मंडल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन 986 परिवारों की पहचान की है जिन्हें पानी की सुरक्षा के लिए समर्थन की सबसे अधिक जरूरत है। बाद में उन्हें नरेगा के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। 2012-13 के दौरान इस योजना के तहत 343 परिवारों का समावेश किया गया है, और इस समय 46 टैंकों का निर्माण चल रहा है।

डेवलपमैंट अल्टरनेटिव्ज और दर्शन के साथ मिलकर 12 महिला चिनाई कारीगर बनाने की दो साल की परियोजना जून -2012 में समाप्त हो गयी। इस परियोजना के कारण आवास की सेवाओं में ग्रामीण महिलाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रशिक्षण के पहला चरण 20 दिन का था और 10 से 30 मई, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। दूसरा चरण 14 नवंबर से 15 दिसम्बर, 2011 का था और तीसरा चरण 16 से 18 फरवरी, और 26 से 28 फरवरी -2012 के दौरान था। सभी महिलाओं ने अब चिनाई काम शुरू कर दिया है। उन्होंने भीम महिला कारीगर संगठन के तहत व्यापार के लिए योजना बनाने के लिए समर्थन दिया गया था।

एक दूसरी परियोजना बाड़मेर और जोधपुर जिले के पाँच तालूकों के 25 गांवों में पिछले 5 वर्षो से चलती है। इन गांवों में समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम में कमी की योजना के बारे में जुलाई के पहले हफ्ते में आयोजित मासिक बैठकों में चर्चा की जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, आंगनवाड़ी, 'नरेगा' और सामाजिक सुरक्षा योजना पर देखरेख करने का काम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तीन सेवाओं पर समुदाय नजर रखता है। एक वर्ष तक की उम्र के 313 बच्चों में से 255 का टीकाकरण किया गया था। बाकी के बच्चे जीवन निर्वाह की खोज में अपने माता पिता के साथ स्थलांतर कर गए हैं। इस अवधि के दौरान 28 महिलाओं को पैरानेटल सेवाएं दिलाने के प्रयास किए गए और इस दौरान जिन 39 महिलाओं को प्रसूति हुई उनमें से 31 प्रसूति अस्पतालों या दवाखानों में हुई हैं।

शेष पृष्ठ 13 पर

उन्नति

उन्नति

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान
फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

आर. के. गुप्ता   रमेश पटेल - उन्नति
बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।